मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.1.2010 से 31.12.2011

भाग–एक

1 **प्रस्तावनाः–**

(क) हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2) (ग)(2) तथा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या भाषा (A)3–3/85–पार्ट–II दिनांक 17.1.1989 के दृष्टिगत मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के अवधि 1/10 से 12/11 के लेखाओं का अंकेक्षण इस विभाग द्वारा किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी में कार्यरत अध्यक्ष एवं मन्दिर अधिकारियों का विवरण निम्न से रहाः–

अध्यक्षः–

क्र0सं0	अध्यक्ष का नाम	अवधि
1	श्री विनय सिंह ठाकुर, एच0ए0एस0	1.1.2010 से 16.2.2011
2	श्री विशाल शर्मा तहसीलदार कार्यवाहक	17.2.2011 से 15.5.2011
3	श्री संदीप कदम, एच0ए0एस0	16.5.2011 से 31.12.2011

मन्दिर अधिकारीः–

क्र0सं0	अध्यक्ष का नाम	अवधि
1	श्री अनुपम ठाकुर	1.1.2010 से 29.1.2010
2	श्री सूरज प्रकाश सोनी	4.2.2010 से 13.4.2010
3	श्री मदन लाल शर्मा	20.4.2010 से 14.9.2010
4	श्री सुखदेव ठाकुर	14.9.2010 से 31.12.2011

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र0सं0	विवरण	पैरा सं0	₹ लाख में
1	मातृ आंचल भवन में स्थापित जलपान गृह की शेष किराये की राशि की वसूली न करना।	11	0.18
2	मन्दिर न्यास द्वारा संचालित शक्ति विद्यालय द्वारा की मैगजीन तथा पुस्तकालय प्रतिभूति निधियों की वसूली न करना	12	0.15
3	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना तथा आदेशों/नियमों की अवहेलना करके दैनिक भोगियों की नियुक्तियॉ करके अनियमित व्यय करना	17	1.64
4	बिना बजट प्रावधान के मन्दिर न्यास द्वारा शुद्ध जल के क्रय पर किया गया भुगतान	19	0.31
5	मन्दिर न्यास द्वारा Q.R.T. (Quick Rescue Team) गाड़ी सेवा पर किया गया अनियमित व्यय	20	6.97
6	मन्दिर न्यास द्वारा छोटे–छोटे समाचार पत्रों, मैगजीन, सोविनियर में दिए गए विज्ञापनों पर अनियमित व्यय	21	10.25
7	मन्दिर न्यास द्वारा निक्षेप कार्य (डिपोजिट वर्क) करवाने हेतु भुगतान की गई राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	26 (क)	28.63

(घ) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अनुच्छेदों/पैरो पर की गई कार्रवाई का अवलोकन वर्तमान अंकेक्षण पर किया गया व कुछ पैरों के सटिप्पण उत्तरों की समीक्षा करने पर प्रतिवेदनों से पैरों का निपटारा किया गया, परन्तु पुराने प्रतिवेदनों में लम्बित पड़े शेष पैरों पर न्यास अधिकारियों द्वारा कोई ठोस/उचित कार्रवाई नहीं की जा रही है जिसके अभाव में पुराने प्रतिवेदनों में शेष पड़े पैरों की संख्या में अपेक्षित कमी नहीं आ रही है। अतः मन्दिर न्यास के अधिकारियों को परामर्श दिया जाता है कि पैरों के निपटारे के लिए उचित प्रयास किए जाएं ताकि पेरों की संख्या में कमी लाई जा सके। पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण **परिशिष्ट "*A*"** पर दिया गया है।

भाग–दो

2 वर्तमान लेंखा परीक्षाः–

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश पिन कोड नं0 174310 के अवधि 1.1.2010 से 31.12.2011 के लेखाओं का लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण जिस के परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शाए गए है, श्री यशवीर कुमार, अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 20.6.2012 से 1.1.2013 के दौरान अकेले तथा अवधि 5.10.12 से 1.1.13 के दौरान श्री पुनीत शर्मा आर्टिकल सहायक सहित श्री नयना देवी में किया गया।

विस्तृत जांच/पड़ताल के लिए निम्न मासों को चयनित किया गया।

अवधि	**चयनित मास**
1.1.2010 से 31.12.2010	8/10, 11/10
1.1.2011 से 31.12.2011	8/11, 10/11

यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मन्दिर न्यास के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं रिकार्ड के आधार पर किया गया है। किसी प्रकार की अधूरी सूचना/अपूर्ण सूचना को उपलब्ध करवाने अथवा सूचना उपलब्ध ही न करवाने के कारण उक्त अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए स्थानीय निधि लेखा विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–9 का कोई दायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

मन्दिर न्यास श्री नयना देंवी जी जिला बिलासपुर के अवधि 1.1.2010 से 31.12.2011 के लेखाओं के लेखा परीक्षण एवं निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या फिन(एल0ए0–1–453/92 दिनांक 6.7.2001 के अनुसार ₹97100/– आंका गया। अनुभाग अधिकारी (लें0प0) की अधियाचना संख्या 7 फिन(एल0ए0) वृत बिलासपुर दिनांक 3.1.2013 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक लेखा परीक्षा निधि को भिजवाने का आग्रह किया गया।

अंकेक्षण शुल्क का विवरण निम्न से रहाः—

अवधि वर्ष	वर्ष के दौरान व्यय	अंकेक्षण शुल्क राशि
2010	87614658	
2011	105463760	97100

4 वितीय स्थितिः—

(क) मन्दिर न्यास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के अवधि 1.1.2010 से 31.12.2011 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से रही जिसका विस्तृत विवरण **"परिशिष्ट—क"** पर भी दिया गया है।

(i) वर्ष 2010

क्र0सं0	विवरण	आय	व्यय	अन्तशेष
1	प्रारम्भिक शेष	79610657		
2	वर्ष के दौरान चढ़त के रूप में प्राप्त आय	100964358		
3	सेविंग एवं सावधि पर ब्याज	9930954		
4	**योग**	**190505969**	**87614658**	**102891311**

(ii) वर्ष 2011

क्र0सं0	विवरण	आय	व्यय	अन्तशेष
1	प्रारम्भिक शेष	102891311		
2	वर्ष के दौरा चढ़त के रूप में प्राप्त आय	132874882		
3	सैविंग एण्ड सावधि पर ब्याज	10079930		
	योग	**245846123**	**105463759**	**140382364**

(ख) दिनांक 31.12.2011 को अन्तिम शेष का विवरण निम्न प्रकार थाः–

(i)	सावधि जमा में निवेशित राशि	109031757
(ii)	बचत खाते में जमा राशि	29873255
(iii)	हस्तगत राशि	1477352
	योग	**₹140382364**

(i) सावधि जमा खाते में शेष राशि

क्र0सं0	बैंक का नाम	राशि
(1)	भारतीय स्टेट बैंक शाखा श्री नयना देवी जी	70853530
(2)	हि0प्र0 राज्य को0 बैंक शाखा श्री नयना देवी जी	17350942
(3)	हि0प्र0 राज्य को0 शाखा बिलासपुर	1156947
(4)	भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिलासपुर	4686074
(5)	स्टेट बैंक आफ पटियाला बिलासपुर	500000
(6)	पंजाब नैशनल बैंक बिलासपुर	4484264
(7)	एच0डी0एफ0सी0 बैंक शाखा आन्नदपुर साहिब	10000000
	योग	**109031757**

(ii) बचत खातों में जमा राशि

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	स्टेट बैंक श्री नयना देवी जी	527497	10598181
2	हि0प्र0 राज्य बैंक शाखा नयना देवी जी	100001	7863104

3	हि0प्र0 राज्य बैंक शाखा बिलासपुर			
4	भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिलासपुर	3029377	90735	
5	पंजाब नैशनल बैंक बिलासपुर	8899696	512709	
6	एच0डी0एफ0सी0 शाखा आन्नदपुर साहिब पंजाब	50000129	10795422	
		योग		**29873255**

(iii) हस्तगत राशि

1	दिनांक 31.12.11 की चढ़त राशि जो कि दिनांक 1.1.2012 को जमा की जानी थी	1335152	
2	आर्थिक सहायता की भुगतान राशि	112200	
3	स्थाई नकद राशि	30000	
		योग	**1477352**

(ख) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकानों की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई।

(i) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान के लेखाओं की वित्तीय स्थितिः–

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष**	**प्राप्त आय**	**ब्याज**	**नीलामी से आय**	**योग**	**व्यय**	**शेष**
2010	245777.42	10160064	19279	42970	10468090.42	10107934	360156.42
2011	360156.42	11698168	135074	54520	12247918.42	11041653	1206263.42

अन्तिम शेष का विवरणः—

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान की वित्तीय स्थिति/रोकड़ वही के अनुसार दिनांक 31.12.2011 को ₹1206265.42 शेष थी जिसका विवरण निम्न से रहाः—

1	हस्तगत राशि	45100
2	हि0प्र0 राज्य सहकारी बैंक खाता सं0 620	311495.37
3	भारतीय स्टेट बैंक खाता सं0 11530527588	849669.37
	योग	**1206265.42**

(ii) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान की आय में से निम्न राशियां सावधि योजना में भी निवेशित की गई दर्शाई गई है परन्तु उपरोक्त (i) में वर्णित वित्तीय स्थिति में सावधि जमा योजना निवेशित इन राशियों को समाविष्ट नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा न्यास स्तर पर आवश्यक जांच करके इस प्रकरण में वस्तुस्थिति में अंकेक्षण को अवगत करवाए जाने के अतिरिक्त इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई भी अमल में लाई जाए।

खाता सं0	**निवेशित दिनांक**	**निवेशित राशि**	**अवधि**	**दर**	**परिपक्वता राशि**	**दिनांक**
सी0बी0पी 482077 276	1.3.2011	500000	300 दिन	8.25%	533904	26.12.11
432315 सी0बी0पी0—328	18.5.2011	700000	221 दिन	8.25%	734956	25.12.11
48245 सी0बी0पी0—360	4.7.2011	500000	174 दिन	7%	576685	25.12.11
	योग	**1700000**			**1785555**	

5 निवेशः—

(क) मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी द्वारा दिनांक 31.12.2011 तक मुख्य रोकड़ वही/वित्तीय स्थिति के अनुसार विभिन्न बैंको में ₹109031757/— सावधि जमा खातों में निवेशित की गई।

अंकेक्षणाधीन अवधि में सावधि जमा योजना में निवेशित राशि तथा दिनांक 31.12.2011 को अन्तशेष का बैंक वार पूर्ण विवरण **"परिशिष्ट–क–1"** में दर्शाया गया है।

(ख) सावधि रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा बिलासपुर द्वारा परिपक्वता राशि में से टी0डी0 राशि की कटौती करने उपरान्त कम राशियां की सावधि तैयार की गई है जिनका विवरण निम्न से हैः–

सावधि खाता सं0	परिपक्वता दिनांक पर मिलने वाली राशि	टी0डी0 कटौती	पूर्ण निवेशित	दिनांक
30907395.745	1045938	(–)68852	1039053	29.9.11
320404930.68	2680897	(–) 4807	2676090	15.11.11

अतः बैंक द्वारा की गई उक्त कटौती का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ग) सावधि रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 7.6.2011 व 22.11.11 को 5 लाख की दो सावधियों एच0डी0एफ0सी0 बैक शाखा आन्नदपुर जिला रोपड़ पंजाब में तैयार करवाई गई जबकि श्री नैना देवी जी में भारत सरकार द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की एक व हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की भी एक शाखा है। अतः सावधि जमा योजना में प्रदेश से बाहर निवेश करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

6 आय एवं व्यय बढ़ौतरी की तुलनात्मक विवरणिकाः–

वर्ष	गत वर्ष की आय	वर्तमान वर्ष की आय	प्रतिशत	गत वर्ष में व्यय	वर्तमान वर्ष में व्यय	प्रतिशत
2009	82610285	100964358 (वर्ष 2010)	22% (बढ़ौतरी)	96155944	87614658 (वर्ष 2010)	09% (कमी)
2010	100964358	132874882 (वर्ष 2011)	31.6% (बढ़ौतरी)	87614658	105463759 (वर्ष 2010)	20% (बढ़ौतरी)

टिप्पणीः— उपरोक्त तुलनात्मक विवरणिका तथा सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2010—2011 में व्यय की बढ़ौत्तरी का मुख्य कारण मेलों के दौरान प्रशासनिक खर्चो पर अधिक व्यय करना, दैनिक भोगी कर्मचारियों के मेलों के दौरान संख्या में बढ़ौतरी करना व पुलिस एवं गृह रक्षकों की संख्या में भी बढ़ौतरी करना मुख्य कारण रहा जबकि पूर्व वर्षों में अस्थाई सेवाओं पर काफी कमी पाई गई थी जिसके कारण आय एवं व्यय सन्तुलित रहा था।

7 सोना एवं चांदीः—

(क) सोनाः—

मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत मन्दिर न्यास श्री न्यना देवी जी की वर्ष 2010—2011 के दौरान सोने की मात्रा की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से पाया गया।

	किवन्टल	**किलो**	**ग्राम**	**मि0ग्रा0**
दिनांक 01.01.2010 को शेष	1	23	093	060
वर्ष 2010 में प्राप्त मात्रा		05	492	670
वर्ष 2011 में प्राप्त मात्रा		06	814	218
योग	**1**	**35**	**399**	**948**
दिनांक 31.12.2011 को सोने की शेष मात्रा का विवरणः—				
पूजा अर्चना के लिए सोने की मात्रा	0	16	431	067
सीलग गाठो में	0	42	628	797
गोल्ड ब्रांड योजना में	0	54	101	910
ईन्टो के रूप में	0	22	238	174
	1	**35**	**399**	**948**

नोट— वर्ष अंकेक्षणाधीन अवधि में सोने की चढ़त इत्यादि में से सम्बन्धित विवरण **"परिशिष्ट—ख"** पर दिया गया है तथा उपरोक्त विभिन्न मदों में सोने के प्रारम्भिक शेष, अंकेक्षणाधीन अवधि में जारी सोने की मात्रा तथा सोने के शेष का विवरण **"परिशिष्ट ख—I"** पर दिया गया है।

(ख) चांदीः—

मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तुत मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी की वर्ष 2010–2011 का चांदी की मात्रा की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से पाया गया।

	क्विंटल	**किलो**	**ग्राम**	**मि0ग्राम0**
01.01.2010 को प्रा0 शेष	42	76	160	669
वर्ष 2010 में प्राप्त मात्रा	3	38	696	100
वर्ष 2011 में प्राप्त मात्रा	3	08	696	820
योग	**49**	**23**	**553**	**589**

दिनांक 31.12.2011 को चांदी की शेष मात्रा का विवरणः–

पूजा अर्चना के लिए चांदी की मात्रा	3	94	792	690
सीलग गांठों में	32	46	536	550
अन्य (ईन्टों के रूप में)	12	82	224	349
	49	**23**	**553**	**589**

नोट– अंकेक्षणाधीन अवधि में चांदी की चढ़त इत्यादि में से सम्बन्धित विवरण **"परिशिष्ट ख"** पर दिया जाता है तथा उपरोक्त विभिन्न मदों में चांदी के प्रारम्भिक शेष, अंकेक्षणाधीन अवधि में जारी चांदी की मात्रा तथा चांदी के शेष का विवरण **"परिशिष्ट ख–I"** पर दिया गया है।

(ग) उपरोक्त (क) तथा (ख) में वर्णित सोने तथा चांदी की शेष मात्रा के अवलोकन पर पाया गया कि मन्दिर न्यास में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अर्थात पूजा अर्चना के लिए, सीलंग गांठों में, गोल्ड बोर्ड योजना के अन्तर्गत तथा ईंटों के रूप में विभिन्न मात्राओं में शेष दर्शाया गया है। अतः इन शीर्षों के अन्तर्गत शेष रखी गई सोने तथा चांदी की मात्रा की आवश्यकता की जॉच संस्था स्तर पर करके सोने तथा चांदी की अधिक्य मात्रा के निवेश के लिए हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास 1984 के अन्तर्गत अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए।

8 मन्दिर न्यास द्वारा ₹1040.00 की कम वसूली बारेः—

अंकेक्षण अवधि 1.1.2010 से 31.12.2011 के अन्तर्गत चयनित मासों में रसीदों से प्राप्त आय की जॉच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा निम्नलिखित रसीदों से प्राप्त आय को डे/बुक तथा रोकड़ वही में दर्ज नहीं किया गया। अतः आय के रूप में ₹1040.00 कम दर्ज की गई दर्शाई गई है जिसे डे/बुक तथा रोकड़ वही में दर्ज करना एवं जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

दिनांक/माह	मूल्य	रसीद सं0	दर्ज योग्य राशि	दर्ज राशि	कम दर्ज की गई राशि
8/2010	50	119508 व 119510	100	50	50
8/2010	100	122373	100	—	100
22.9.2010	100	123575 से 123580	600	—	600
9.8.2010		112479 से 112493	32402	32372	30
23.8.2010		112843 से 112848	4695	4675	20
8/2011	100	139146	100	—	100
8/2011	50	3560	50	—	50
8/2011	10	15101 से 15200 (बिना नम्बर की रसीद)	10	—	10
8/2011	10	8242 के बाद रसीद (बिना नम्बर की रसीद)	10	—	10
8/2011	10	15201 से 15300 (बिना नम्बर की रसीद)	10	—	10
8/2011	10	15039 के बाद (बिना नम्बर की रसीद)	10	—	10
8/2011	10	17801 से 17900 (बिना नम्बर की रसीद)	10	—	10

8/2011	10	8141 के बाद रसीद (बिना नम्बर की रसीद)	10	–	10
8/2011	10	17788 के बाद रसीद (बिना नम्बर की रसीद)	10	–	10
8/2011	10	11071 के बाद (बिना नम्बर की दो रसीद)	20	–	20
			कुल राशि		**₹1040**

9 मन्दिर न्यास द्वारा दान के रूप प्राप्त विभिन्न वस्तुओं (सामग्री) को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने बारेः–

अंकेक्षण अवधि 01/2010 से 12/2011 के अन्तर्गत चयनित मासों में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दान स्वरूप प्राप्त विभिन्न वस्तुओं जो कि रसीदों द्वारा प्राप्त की गई थी, में से निम्न विवरणानुसार कुछ मदों को सम्वधित स्टॉक रजिस्टर में दर्ज ही नहीं किया गया जो कि गम्भीर अनियमितता है। अतः इस प्रकरण में संस्था स्त्तर पर जांच करके अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए अथवा दर्ज न की गई विभिन्न मदों की बिक्री दरों अथवा बाजारी भाव की दर से सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करके अपेक्षित राशि न्यास निधि में जमा करवाई जाए।

वर्ष 2010

माह/वर्ष	**दिनांक**	**रसीद सं0**	**सामग्री वस्तुओं का विवरण**	**मात्रा**
3/2010	9.3.2010	107080	दरी	1 नग
6/2010	15.6.2010	110467	चादर (डबलबैड)	1 नग
6/2010	15.6.2010	110470	बाटटी	1 नग
7/2010	17.7.2010	111521	चादर	1 नग
7/2010	27.7.2010	112043	चावल	20कि0ग्रा0
8/2010	10.8.2010	111125	घी	2 टिन
8/2010	18.8.2010	111132	चावल	160 कि0ग्रा0

8/2010	2.8.2010	112279	ट्रंक	1 नग
8/2010	8.8.2010	112537	पीतल घण्टी	1 नग
8/2010	10.8.2010	112547	दरी	1 नग
8/2010	10.8.2010	111573	छत्त वाला पंखा (Silvetone company)	1 नग
8/2010	11.8.2010	112498	घण्टी पीतल	1 नग
8/2010	14.8.2010	112571	घण्टी पीतल	1 नग
8/2010	15.8.2010	112572	कम्बल	1 नग
8/2010	16.8.2010	112579	कम्बल	1 नग
10/2010	24.8.2010	112600	छत वाला पंखा (airlive Co.)	1 नग
4/2011	15.4.2011	069	कम्बल	5 नग
4/2011	21.4.2011	116404	कम्बल (सिंगल साईज)	11 नग
5/2011	7.5.2011	116423	चादर (सिंगल साईज)	1 नग
5/2011	16.5.2011	116439	कम्बल	1 नग
5/2011	23.5.2011	116452	चादर सिंगल	1 नग
5/2011	26.5.2011	116455	दलीजा	1 नग
6/2011	7.6.2011	116482	दलीचा (4X6 साईज)	17 नग
6/2011	8.6.2011	116485	पीतल घण्टी	1 नग
6/2011	8.6.2011	116486	(1) कम्बल (सिंगल बैड)	1 नग
			(2) चादर (सिंगल बैड)	1 नग
			(3) दरी	1 नग
			(4) तलाई	1 नग
			(5) तकिया	1 नग
7/2011	9.7.2011	116194	सिन्क	1 नग
7/2011	15.7.2011	117157	बिस्तर चादर	1 नग
7/2011	23.7.2011	117173	कम्बल	1 नग
7/2011	24.7.2011	117175	कम्बल	1 नग

7/2011	24.7.2011	117177	दरी	1 नग
7/2011	31.7.2011	117196	आटा	20क0ग्रा0
8/2011	5.8.2011	221	सफाई वाईपर	7 नग
8/2011	21.8.2011	277	चादर सिंगल	1 नग
8/2011	8.8.2011	117087	टयूब सैट	1 नग
8/2011	9.8.2011	117092	पेन्ट (डिसटैम्पर)	6 नग

10 फटटे पुराने नोटो का लेखांकन सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर में करने बारेः–

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के दैनिक आय विवरण रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 1.1.2010 से 10.7.2010 के दौरान प्राप्त फटटे पुराने नोटों की राशि का लेखांकन इससे सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर पर नियमित रूप से किया जाता रहा है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

1.1.10 का प्रा0 शेष	8771
1/2010	12536
2/2010	10730
3/2010	20921
4/2010	21746
5/2010	18729
6/2010	13547
1.7.2010 से 10.7.2010	5252
योग	**₹112232** (6**%** कमीशन पर बिक्री पर शुद्ध ₹105498/– को जमा करवाया गया)

इसके पश्चात अवधि 14.7.10, 15.7.10, 19.7.10, 27.7.10, 10.8.10 तक प्राप्त फटटे पुराने नोटों की ₹2629.00 की प्राप्ति की प्रविष्टियॉ कण्डम नोट रजिस्टर पृ0 59 पर की गई जिनका विवरण निम्न प्रकार से है।

14.7.2010	820
15.7.2010	216
19.7.2010	873

27.7.2010	90
10.8.2010	929
योग	**₹2629**

तत्पश्चात अवधि 11.8.2010 से 31.12.2011 के दौरान प्राप्त फटटे पुराने नोटों का विवरण न तो मुख्य गल्ला रजिस्टर में और न ही देवताओं के गल्लों के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया अपितु मन्दिर न्यास द्वारा पुराने कण्डम नोटो की संख्या एवं राशियों की गणना किए बिना ही इनकी बिक्री की प्रक्रिया दो न्यासियों के समक्ष बोली के आधार पर प्रारम्भ कर दी गई तथा मन्दिर कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक दिन गल्लों की गणना पर फटटे पुराने नोटों का विवरण देना बन्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि प्रत्येक गणना दिवस पर कुल कितने कण्डम नोट, कितनी राशि के प्राप्त हुए थे तथा क्या इनका मूल्यांकन सही ढ़ंग से किया गया है अथवा नहीं ? अतः उक्त अनियमितता है कारण स्पष्ट किए जाएं।

11 मातृ आंचल भवन में स्थापित जलपान गृह की शेष किराये की ₹18966/—की वसूली न करने बारेः—

मातृ आंचल भवन में स्थापित जलपान गृह को पत्र संख्या टी0टी0एन0डी0—3763—66 दिनांक 15.11.08 द्वारा दो वर्षों के लिए 1.11.2008 से 31.10.2010 तक लीज के आधार पर श्री मोहिन्द्र कुमार सुपुत्र श्री सरन गॉव सरनी डाकखाना सलोआ जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को ₹171000/— पर आंबटित किया गया था। अवार्ड पत्र संख्या की शर्त संख्या—2 के अनुसार प्रथम किश्त की ₹85500 नवम्बर 2008 मे जमा करवाई जानी व द्वितीय किश्त की ₹85500/— माह 10/2009 में जमा करवाई जानी अनिवार्य थी तथा इसके लिए मन्दिर न्यास एवं श्री मोहिन्द्र कुमार के बीच दिनांक 28.12.08 को अनुबन्ध भी किया गया था। यद्यपि उक्त अनुबन्ध 31.11.2010 को समाप्त होना था परन्तु अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति के पश्चात श्री मोहिन्द्र कुमार के अनुबन्ध में 6 माह की बढ़ौतरी 10% किराये की बढ़ौतरी के साथ की गई। इस प्रकार 31.10.2010 के पश्चात किराऐ में 10% बढ़ौतरी करने पर प्रथम छः माह का किराया ₹47025/—चैक संख्या 4711369 दिनांक 7.1.11 को जमा करवाया गया तथा तदानुसार अवधि 01.09.2011 से 31.10.2011 का कुल किराया ₹51728 चैक संख्या 4711371

दिनांक 26.5.11 को जमा करवाया गया परन्तु अवधि 01.10.2011 से 31.12.2011 का 2 माह का किराया ₹18966/– उक्त ठेकेदार से वसूलने हेतु शेष है जिसकी शीघ्र वसूली करके न्यास खाते में जमा करवाई जाए।

12 मन्दिर न्यास द्वारा संचालित शक्ति विद्यालय द्वारा ₹15090/–की मैगजीन तथा पुस्तकालय प्रतिभूति निधियों की वसूली न करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा संचालित विद्यालय द्वारा जमा एक व दो कक्षाओं के विद्यार्थियों से वर्ष 2010 व 2011 में पुस्तकालय प्रतिभूति निधि तथा वर्ष 2010 के दौरान छात्रो से मैगजीन निधि की वसूली नहीं की गई। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि निम्नविवरणानुसार वसूली नहीं की गई निधियों की वसूली उचित स्त्रोत से करनी सुनिश्चित की जाए अथवा उक्त अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाए।

वर्ष	निधि का नाम	कक्षा	छात्र सं0	दर	राशि
2010	मैगजीन फंड	XI XII	234	15	3510
2010	पुस्तकालय प्रतिभूति	XI XII	234	30	11580
2011		XI XII	152		
			386	**योग**	**₹15090**

13 मन्दिर न्यास की आय से सीधे तौर पर अग्रिम राशि का भुगतान करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा **"परिशिष्ट–ग"** के दिए गए विवरण के अनुसार अग्रिम ₹887341/– का भुगतान मन्दिर में चढ़त स्वरूप प्राप्त आय में से सीधे तौर पर किया गया जबकि वित्तीय नियमों के अनुसार प्राप्त आय में से सीधे तौर अग्रिम राशि का भुगतान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट किए गए तथा वित्तीय नियमों के अनुसार मन्दिर न्यास निधि से अग्रिम राशि का भुगतान न करने बारे अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए तथा इसके

अतिरिक्त भुगतान की गई अग्रिम राशि से सम्बन्धित समस्त अभिलेख तैयार किए जाएं तथा सत्यापनार्थ आग्रामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करके अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

14 **मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान में प्रयोगार्थ क्रय किए गए शुद्ध देशी घी तथा यात्रियों/श्रद्वालुओं द्वारा चढ़त स्वरूप मन्दिर के चढ़ाये गए शुद्ध देसी घी के बारे में:–**

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा हर वर्ष घी का क्रय प्रसाद इत्यादि करने के लिए किया जाता है तथा वर्ष 2010 तथा वर्ष 2011 में निम्न विवरणानुसार ₹6761978/–का देसी घी क्रय किया गया।

स्टॉक रजिस्टर पेज नं0	दिनांक	बिल नं0	फर्म का नाम	खरीदी गई घी की कुल मात्रा Q-KG-GM	राशि (₹)
2	1.2.2010	12543	हि0प्र0 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग श्री नयना देवी जी	7–20–000	184560
3	3.3.2010	12547	–यथोपरि–	4–53–600 (42 पेटी)	123480
3	20.3.2010	12548	–यथोपरि–	10–80–000	300000
4	16.4.2010	12551	–यथोपरि–	16–20–000	459000
5	24.5.2010	12558	–यथोपरि–	15–00–000	407500
7	5.7.2010	12562	–यथोपरि–	15–00–000	411000
8	7.8.2010	12565 6.8.10	–यथोपरि–	15–00–000	398000
10	6.10.2010	12567	–यथोपरि–	15–00–000	398000
12	8.12.2010	12572	–यथोपरि–	7–50–000	191750
12	8.12.2010	– 21.12.10	मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी	1–00–000	17500
				107–23–600	2890790

1	8.1.11	—	मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी	12 कि0ग्रा0	3500
1	9.1.11	12574	हि0प्र0 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से अधिकृत उचित मूल्य की दुकान	15—00—000	398000
3	1.3.11	12576	—यथोपरि—	14—85—000	393525
4	5.4.11	12579	—यथोपरि—	7—50—000	198750
4	19.4.11	12580	—यथोपरि—	7—65—000	202725
5	3.5.11	—	मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी	150 कि0ग्प्र0	26250
6	3.6.11	12584	हि0प्र0 खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से अधिकृत उचित मूल्य की दुकान श्री नयना देवी जी	15—00—000	427500
7	6.7.11	12588	—यथोपरि—	12—90—000 (1290कि0ग्रा0)	367650
7	23.7.11	12589	—यथोपरि—	15—00—000	427500
9	8.9.11	211	—यथोपरि—	14—93—000	471788
10	22.10.11	352	—यथोपरि—	15—00—000	477000
12	10.12.11	500	—यथोपरि—	15—00—000	477000
	वर्ष 2010 व 2011 में कुल शुद्ध देसी घी खरीद				**₹6761978**

दूसरी तरफ मन्दिर में आने वाले यात्रियों व श्रद्धालुओं द्वारा माता के दरवार में शुद्ध देशी घी में चढ़ाया जाता है तथा वर्ष 2010 तथा वर्ष 2011 में निम्न विवरणानुसार 7508 कि0ग्रा0 500 ग्रा0 शुद्ध देसी घी की मात्रा चढ़त के रूप में प्राप्त की गई। चर्चा के दौरान बताया कि चढ़त के रूप में प्राप्त घी के लिए स्थानीय लोगों को कम दर पर बेचा जाता है जबकि इसकी तुलना में मन्दिर न्यास की दुकान के लिए क्रय किया गया घी अधिक दर से क्रय किया जा रहा है।

घी स्टॉक रजिस्टर पेज नं0	माह/वर्ष	मन्दिर में चढ़त स्वरूप प्राप्त शुद्ध घी
1	1/2010	81 कि0ग्रा0 500 ग्रा0
2	2/2010	99 कि0ग्रा0 500 ग्रा0
3	3/2010	514 कि0ग्रा0
4	4/2010	150 कि0ग्रा0
6	5/2010	193 कि0ग्रा0
8	6/2010	231 कि0ग्रा0 500 ग्रा0
10	7/2010	180 कि0ग्रा0
12	8/2010	565 कि0ग्रा0 500 ग्रा0
14	9/2010	158 कि0ग्रा0 500 ग्रा0
16	10/2010	526 कि0ग्रा0
18	11/2010	218 कि0ग्रा0 500 ग्रा0
20	12/2010	222 कि0ग्रा0
23	1/2011	157 कि0ग्रा0 500ग्रा0
24	2/2011	259 कि0ग्रा0
26	3/2011	343 कि0ग्रा0
28	4/2011	770 कि0ग्रा0
29	5/2011	304 कि0ग्रा0 500ग्रा0
32	6/2011	276 कि0ग्रा0
35	7/2011	388 कि0ग्रा0
38	8/2011	532 कि0ग्रा0 500 ग्रा0
40	9/2011	274 कि0ग्रा0
152	10/2011	523 कि0ग्रा0
154	11/2011	283 कि0ग्रा0
156	12/2011	258 कि0ग्रा0
वर्ष 2010 व 2011 में चढ़त स्वरूप प्राप्त शुद्ध घी की मात्रा		**7508 कि0ग्रा0 500 ग्रा0**

अतः न्यास पर आन्तरिक अवलोकन करके यह पता लगाया जाए कि क्या यात्रियों/श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया शुद्ध घी मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान में प्रयोग किया जा सकता है अथवा नहीं। इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

15 मन्दिर न्यास में यात्रियों/श्रद्वालुओं द्वारा चढ़ाई चुन्नीयों की खफत के बारे में:-

मन्दिर न्यास में आने वाले यात्रियों व श्रद्वालुओं द्वारा मॉ के चरणों में प्रसाद के अतिरिक्त चुन्नीयों को भी चढ़ाया जाता है। यह सब चुन्नीयॉ बाद में मन्दिर के काऊंटर लिपिक को स्टॉक में दर्ज करने हेतु दी जाती है। स्टॉक में दर्ज करने के पश्चात न्यास द्वारा इन चुन्नीयों का वितरण अपने स्त्तर पर कर दिया जाता है। अंकेक्षण में इस सन्दर्भ में चर्चा पर यह बताया गया कि बाद में मन्दिर में आने वाले यात्रियों, श्रद्वालुओं, अधिकारियों व अति विशिष्ट व्यक्तियों/प्रशासनिक अधिकारियों को यह चुन्नीयां बांट दी जाती है। मन्दिर न्यास में वर्ष 2010 व 2011 में 44297 चुन्नीयॉ श्रद्वालुओं द्वारा चढ़ाई तथा 43818 चुन्नीयॉ वितरित की गई जिसका विवरण **"परिशिष्ट-घ"** पर दिया गया है। मन्दिर में चुन्नीयों के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा चढ़त स्वरूप प्राप्त इन चुन्नियों तथा उसमें से वितरित की गई चुन्नीयों की खफत का माहवार/तिथिवार विवरण तैयार नहीं किया गया तथा यह चुन्नीयां किन यात्रियों, कर्मचारियों व अधिकारियों को कब-2 बांटी गई, इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। अतः सुझाव दिया जाता है कि मन्दिर में प्राप्त चुन्नीयों तथा वितरित की जाने वाली चुन्नीयों का विवरण तैयार किया जाएं।

16 मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान बिक्री के लिए क्रय की गई ₹651832/-की चुन्नियों से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः-

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि न्यास यात्रियों व श्रद्वालुओं को बेचने हेतु **"परिशिष्ट-ङ"** के अनुसार वर्ष 2011 तथा 2012 में विभिन्न मूल्यों को 14716 नग चुन्नीयों ₹651832/-की क्रय की गई। अतः उक्त क्रय की गई चुन्नीयों तथा इनमें से बिक्री की चुन्नीयों का पूर्ण विवरण तैयार अपेक्षित आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

17 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना तथा आदेशों/नियमों की अवहेलना करके दैनिक भोगियों की नियुक्तियॉ करने पर ₹164708/–का अनियमित व्यय करनाः–

मन्दिर न्यास में **"परिशिष्ट–च"** के अनुसार पर्याप्त स्थाई कर्मचारी तैनात है फिर भी अंकेक्षण अवधि के दौरान मन्दिर न्यास द्वारा सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति के बिना ही निम्न दैनिक भोगी कर्मचारियों की मन्दिर न्यास मे ंलंगर भवन एवं मन्दिर परिसर में नियुक्तियॉ प्रारम्भ मे ं65 दिनों के लिए और बाद में 89 दिनों के लिए ₹120/–प्रति दिन की दर से की गई जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या फिन पर्सनल (ए0पी0)सीबी(2)1/2006–खण्ड–VII दिनांक 4 जुलाई 2009 में यह स्पष्ट किया गया है कि "Govt has decided that in future, no contineed paid employee be engaged otherwise it will be pervesonner resnoneibillity of concervene offices/officer"। अतः नियमों की अनदेखी का यह नियुक्तियॉ की गई प्रतीत होती है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण को चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि इन अस्थाई कर्मचारियों में से कुछ को उक्त कार्यों पर न लगा कर अन्य कार्यों पर लगाया गया है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं तथा उक्त अनियमितता को अधिकारी की स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

1	श्री चनन्न राम	8/2010
2	श्री नरेश कुमार	8/2010
3	श्री विजय कुमार	8/2010
4	श्री कुशल कुमार	8/2010
5	श्री पविन्द्र कुमार	8/2010
6	श्री अजय कुमार	8/2010
7	श्री रणदीप सिंह	8/2010
8	श्री देवी सिंह	8/2010
9	श्री गोपाल सिंह	8/2010
10	श्री जगीर राम	8/2010
11	श्री राम कुमार	8/2010
12	श्री मनोज कुमार	8/2010
13	श्री जोगिन्द्र सिंह	8/2010

मन्दिर न्यास द्वारा उक्त नियुक्तियों करने के उपरान्त इन दैनिक भोगी कर्मचारियों पर निम्न विवरणानुसार खर्चा किया गया जिसकी संस्था स्तर भी जांच की जाए। इसके अतिरिक्त अनियमित रूप में नियुक्त किए सभी दैनिक भोगी कर्मचारियों पर किए गए अन्य खर्चों की जांच भी संस्था स्तर पर करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

व्यय का ब्यौरा निम्न से रहाः–

बिल सं0	दिनांक	माह	अवधि	राशि	टिप्पणी
708	23.8.10	8/10	10.7.10 से 31.7.10 तक	9680	खर्चा प्रशासनिक शीर्ष में डाला गया
833	17.9.10	9/10	कोई वर्णन नहीं	16830	65 दिनों के लिए अस्थाई नियुक्ति पर
1120	13.12.10	10/10	22.10.10 से 31.10.10	480	65 दिनों के लिए अस्थाई नियुक्ति पर
1120	13.12.10	11/10	1.11.10 से 31.11.10	14400	65 दिनों के लिए अस्थाई नियुक्ति पर
1124	13.12.10	11/10	1.10.09 से 3.6.10	30030	65 दिनों के लिए अस्थाई नियुक्ति पर
10	4.1.11	1/11	दिसम्बर माह	14880	65 दिनों के लिए अस्थाई नियुक्ति पर
81	2.2.11	2/11	20.1.11 से 30.1.11	14400	65 दिनों के लिए अस्थाई नियुक्ति पर
171	10.3.11	3/11	कोई वर्णन नहीं	4008	65 दिनों के लिए अस्थाई नियुक्ति पर
254	2.4.'11	4/11	3/11	11160	65 दिनों के लिए अस्थाई नियुक्ति पर
333	2.9.11	5/11	1.4.11 से 18.4.11	6480	65 दिनों के लिए अस्थाई नियुक्ति पर
506	1.7.11	7/11	24.5.11 से 30.6.11	13680	65 दिनों के लिए अस्थाई

502				4560	नियुक्ति पर
631	1.8.11	8/11	कोई वर्णन नहीं	11160	65 दिनों के लिए अस्थाई नियुक्ति पर
731	26.9.11	–	1.8.11 से 24.8.11	8640	65 दिनों के लिए अस्थाई नियुक्ति पर
			योग	**₹164708**	

18 मन्दिर द्वारा संचालित दुकान में गैस सिलेन्डर की मात्रा से अधिक सिलेन्डरों की रीफिलिंग करवाना तथा गैस सिलेन्डरों की भरपाई हेतु मैसर्ज सैनी गैस एजेन्सी बिलासपुर को ₹1195/–का अधिक भुगतान करनाः–

(क) मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान के स्टॉक रजिस्टर के पृ0 294 से 305 के अवलोंकन पर पाया गया कि अवधि 2010–2011 में स्टॉक में उपलब्ध 20 सिलेन्डरो से अधिक मात्रा में गैस की भराई प्रति माह की गई दर्शाई गई है जोकि वास्तविक में उचित प्रतीत नहीं होती है। भरवाये गई सिलेन्डरों का विवरण माह कर निम्न से पाया गयाः–

माह	बिल	फर्म का नाम	दिनांक	भरवाए गए सिलेन्डरों की सं0	जितने सिलेन्डर अधिक भरवाए गए
1/2010	623	रूद्र गैस एजेन्सी स्वाघाट	13.1.10	10 नं0	10 नं0
	624	–यथोपरि–	22.1.10	20 नं0	
2/2010	626	–यथोपरि–	6.2.10	10 नं0	10 नं0
	631	–यथोपरि–	20.2.10	20 नं0	
3/2010	629	–यथोपरि–	1.3.10	10 नं0	20 नं0
	634	–यथोपरि–	8.3.10	10 नं0	
	632	–यथोपरि–	15.9.10	20 नं0	
4/2010	633	–यथोपरि–	2.4.10	20 नं0	20 नं0
	635	–यथोपरि–	26.4.10	20 नं0	
6/2010	58	–यथोपरि–	16.6.10	20 नं0	20 नं0

	59	–यथोपरि–	17.6.10	20 नं0	
8/2010	201	–यथोपरि–	4.8.10	30 नं0	10 नं0
9/2010	202	–यथोपरि–	31.8.10	20 नं0	20 नं0
	204	–यथोपरि–	28.9.10	20 नं0	
12/2010	536	–यथोपरि–	1.12.10	20	20 नं0
	537	–यथोपरि–	7.12.10	20	
2/2011	555	–यथोपरि–	1.2.11	20	20 नं0
	208	–यथोपरि–	20.2.11	20	
3/2011	209	–यथोपरि–	7.3.11	13	13 नं0
	210	–यथोपरि–	26.3.11	20	
4/2011	557	–यथोपरि–	11.4.11	23	3 नं0
6/2011	211	–यथोपरि–	4.6.11	21	21 नं0
	251	–यथोपरि–	20.6.11	20	
7/2011	252	–यथोपरि–	19.7.11	10	30 नं0
	253	–यथोपरि–	26.7.11	20	
	254	–यथोपरि–	29.7.11	20	
9/2011	256	–यथोपरि–	24.9.11	20	19 नं0
	257	–यथोपरि–	30.9.11	19	
11/2011	220	–यथोपरि–	2.11.11	14	14 नं0
	223	–यथोपरि–	19.11.11	20	
12/2011	225	–यथोपरि–	12.12.11	15	25 नं0
	241	–यथोपरि–	28.12.11	30	

इस प्रकार मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकानों के लिए कई मासों से स्टॉक में उपलब्ध सिलेन्डरों में अधिक सिलेन्डरों की भरपाई की गई जिसका तथ्यों सहित औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त मन्दिर न्यास के बिल/वा0सं0 808 दिनांक 4.10.2011 की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज सैनी गैस एजेन्सी बिलासपुर को उनके बिल संख्या /कैश मैमो 006753 दिनांक 30.9.11 व दिनांक 29.9.11 के एवज में 75 सिलेन्डरों की भराई करने पर ₹33592/–का भुगतान चैक संख्या 5259438 दिनांक 4.10.11 द्वारा किया गया दर्शाया गया है तथा यह खर्चा रोकड़ वही पृ0 305 पर दर्ज किया गया है। उक्त बिल के अवलोकन पर पाया गया कि सैनी गैस सर्विस द्वारा ₹1195/–का अधिक बिल प्रेषित किया गया है।

बिल सं0	दिनांक	कुल सिलेन्डर	कीमत	राशि	डिलवरी चार्जिज	कुल राशि योग	बिल राशि	अधिक
7090	30.9.11	50	398.56	19928	1670	21598	022395	797.11
7757	28.9.11	25	398.56	9964	835	10799	1119756	390.00
							योग	**₹1195.00**

इस प्रकार अधिक राशि के भुगतान के मामले को सैनी गैस सर्विस से उठाकर अपेक्षित वसूली की जाए तथा इस प्रकार की अन्य आपूर्तियों पर उक्त प्रकार से ही समाधान करना सुनिश्चित किया जाए।

19 बिना बजट प्रावधान के मन्दिर न्यास द्वारा शुद्ध जल के क्रय पर किए गए ₹31488/– के भुगतान के बारे में:–

मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकानों के स्टॉक रजिस्टर की जांच करने पर पाया गया कि न्यास द्वारा वर्ष 2010 व 2011 के विभिन्न मेलों के प्रबन्धन हेतु निम्न विवरणानुसार ₹31488/–का शुद्ध जल क्रय किया गया तथा इस जल की बिक्री की आय शून्य दर्शाई गई थी। इस सन्दर्भ में चर्चा करने पर अंकेक्षण को बताया गया कि यह शुद्ध जल विभिन्न मेलों के दौरान मेला प्रबन्ध से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जबकि मन्दिर न्यास के बजट में शुद्ध जल की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः न्यास द्वारा किया गया यह व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त क्रय किए गये शुद्ध जल की खपत की जांच से सम्बन्धित कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया था

जिसके अभाव में उक्त व्यय की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। अतः इस प्रकरण में आवश्यक अभिलेख तैयार करने के अतिरिक्त उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति में नियमित करवाया जाए।

वर्ष 2010

स्टॉक रजिस्टर पेज नं0	**बिल नं0/दिनांक**	**फर्म का नाम**	**खरीदी गई शुद्ध जल की मात्रा (नं0)**	**राशि (₹)**	**वितरित शुद्ध जल की मात्रा (नं0)**	**अन्त शेष (नं0)**	**टिप्पणी**
338	1233 13.3.10	कौशल इन्टर प्राईजिज टोबा	600	5900	—	600	
338	— 14.4.10	—	—	—	455	145	(वितरित शुद्ध जल का विवरण/अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा खफत विवरणी तैयार नहीं की गई)
338	— 26.6.2010	—	—	—	128	17	—यथोपरि—
339	— 7.08.2010	—	—	—	17	शून्य	—यथोपरि—
339	150 17.08.2010	कौशल इन्टर प्राईजिज टोबा	600	5650	—	600	
339	— 20.09.2010	—	—	—	600	शून्य	—यथोपरि—
339	509 4.10.2010	—यथोपरि—	912	8588	—	912	
339	518 8.10.2010	—यथोपरि—	600	5650	—	1512	
339	— 8.10.2010	—	—	—	912	600	—यथोपरि—

340	— 23.10.2010	—	—	—	350	250	(वितरित शुद्ध जल का विवरण अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं किया गया तथा खफत विवरणी तैयार नहीं की गई)
340	—	—	—	—	—	250	
301	— 28.1.2011	—	—	—	20	230	(1) वितरित शुद्ध जल का विवरण प्रस्तुत नहीं किया
							(2) शुद्ध जल का खफत विवरणी तैयार नहीं की गई
301	— 4.3.2011	—	—	—	30	200	—यथोपरि—
301	— 19.3.2011	—	—	—	10	190	—यथोपरि—
301	— 28.5.2011	—	—	—	110	80	—यथोपरि—
302	— 8.6.2011	—	—	—	20	60	—यथोपरि—
302	20.7.2011	—	—	—	60	शून्य	—यथोपरि—
302	176 2.8.2011	कौशल इन्टर प्राईजिज (टोबा)	360	3420	—	360	—यथोपरि—
302	— 2.8.2011	—	—	—	56	304	—यथोपरि—
303	206 2.10.2011	कौशल इन्टर प्राईजिज (टोबा)	240	2280	—	544	
303	— 2.10.2011	—	—	—	324	220	—यथोपरि—
303	— 20.10.2011	—	—	—	40	180	—यथोपरि—

303	— 1.11.2011	—	—	—	69	111	—यथोपरि—
303	अन्तशेष 31.12.2011	—	—	—	—	111	
			कुल (₹)		31488		

20 मन्दिर न्यास द्वारा Q.R.T. (Quick Rescue Team) गाड़ी सेवा पर किए गए ₹6.97 लाख के अनियमित व्यय के बारे में:—

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वर्ष 2009 में लिए गए निर्णय के अनुसार न्यास द्वारा विभिन्न मेलों के दौरान व प्रत्येक मास के शनिवार व रविवार को यात्रियों को सुविधा प्रदान करन हेतु व प्राथमिक उपचार हेतु QRT (Quick Rescue Team) का प्रावधान किया गया जिसके अन्तर्गत (दस) गाड़ियॉ मेले के दौरान व (दो) गाड़ियॉ प्रत्येक माह के शनिवार व रविवार को मन्दिर न्यास में स्थापित पुलिस नियन्त्रण कक्ष के अधिकारी को दी जाती है। अंकेक्षण में सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन करने पर पाया गया कि वर्ष 2010 व 2011 में ₹697681/—का व्यय QRT (Quick Rescue Team) गाड़ी सेवा पर किया जिसका विवरण **"परिशिष्ट —छ"** पर दिया गया है। अंकेक्षण में चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि मेलों के दौरान साधारणतयः यात्रियों/श्रद्धालुओं का आगमन पैदल यात्रा के रूप में धवाण्डल चौक से बस स्टैन्ड तथा मन्दिर तक पैदल रास्ते से व रोप पे के माध्यम से होता है जबकि इन गाड़ियों की सेवा कौला वाला टोबा से बस स्टैन्ड, कैची मोड से धवाण्डल चौक, बस स्टैन्ड से P.C. Centre व धवाण्डल चौक से मातृशरण (गुफा) इत्यादि पर की गई दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त गाड़ियों के व्यय वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि इन गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी भी अध्याधिक दर्शाई गई है। इस प्रकार उक्त वर्णित तथ्यों से प्रतीत होता है इन गाड़ियों के उपयोग द्वारा यात्रियों तथा श्रद्धालुओं को अपेक्षित सुविधा प्रदान की नहीं की गई है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत (QRT) (Quick Rescue Team) गाड़ी सेवा के अन्तर्गत किए गए व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

21 मन्दिर न्यास द्वारा छोटे–छोटे समाचार पत्रों, मैगजीन, सोविनियर में दिए गए विज्ञापनों पर ₹10.25 लाख का अनियमित व्यय करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा **"परिशिष्ट–ज"** पर वर्णित विवरण के अनुसार छोटे–छोटे समाचार पत्रों, मैगजीनों, सोनिनियरों में दिए गए विज्ञापनों पर ₹1024800/– का व्यय किया गया जबकि भाषा एवं संस्कृति विभाग के पत्र संख्या 5/08 मन्दिर 20418 दिनांक 29.08.1988 द्वारा छोटे–छोटे समाचार पत्रों, मैगजीन, सोविनियर इत्यादि में विज्ञापन देने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया था। अतः उक्त अनियमित व्यय का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा न्यास द्वारा किये गए इस व्यय का नियमितकरण सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त उपरोक्त **"परिशिष्ट–ज"** में वर्ष 2010 में दिए गए विज्ञापनों के क्रम संख्या 27 के अनुसार प्रबन्ध समाप्दन शब्द मन्च वार्षिक जिला पत्राचार संघ बिलासपुर को उनके बिल संख्या 64 दिनांक 30.4.10 के एवज में भुगतान किया गया दर्शाया है परन्तु उक्त राशि की पावती/रसीद विपत्र के साथ संलग्न नहीं पाई गई जिसे शीध्र प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण पर दिखाई जाए। अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त व्यय से सम्बन्धित रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं की गई जिसे अब करना सुनिश्चित किया जाए।

22 मन्दिर न्यास द्वारा ₹191710/–का व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान चयनित व अन्य मासों में किये गये व्यय वाउचरों की जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा **"परिशिष्ट–झ"** में दिए गए विवरण के अनुसार ₹191710.00 का व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया। आयुक्त (मन्दिर) एवं उपायुक्त बिलासपुर के पत्र संख्या टी0टी0इन0डी0स्टे 0/94 दिनांक 02.08.1994 तथा 17.11.2008 द्वारा मन्दिर अधिकारी को ₹5000/–तक के बिलों की Passing/Disbussing of Bill/Expenditure करने की वित्तीय शक्ति/अनुमोदन प्राप्त है परन्तु इन वाऊचरों की जांच में पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा किया गया यह व्यय निर्धारित सीमा से अधिक है फिर भी इन वाऊचरों के अन्तर्गत किए गए व्यय हेतु मन्दिर न्यास द्वारा नहीं ली गई। इसके अतिरिक्त इन वाऊचरों की जांच करने पर यह पाया गया कि व्यय के प्रयोजन/उद्देश्य तथा आगामी खफत बारे कोई विवरणी

व्यय वाऊचर के साथ संलग्न नहीं की गई थी। अतः इस प्रकरण में अपेक्षित अभिलेख तैयार करने के अतिरिक्त उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

23 मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न मेलों के आयोजन के दौरान कुर्सियों व शामयाने किराये पर लेने हेतु ₹296071/– का व्यय करने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष के दौरान मनाये जाने वाले विभिन्न मेलों के प्रबन्ध हेतु वर्ष 2010 तथा वर्ष 2011 में निम्नविवरणानुसार ₹296071/–का व्यय कुर्सियां व शामयाने को किराये पर लेने हेतु भुगतान किया गया है। अतः प्रत्येक मेलों के आयोजन पर प्रतिवर्ष इतनी अधिक राशि का किराये के रूप में भुगतान करने के दृष्टिगत संस्था स्तर पर आन्तरिक जांच करके मन्दिर न्यास द्वारा मेलों के आयोजन हेतु अपेक्षित कुर्सियां तथा टैन्ट इत्यादि की खरीद सम्बन्धी सम्भावना पर भी विचार किया जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्र0सं0	बिल नं0	दिनांक	फर्म का नाम	राशि (₹)
1	74	3.2.2010	शर्मा टैन्ट हाऊस श्री नयना देवी जी	50295
2	75	3.2.2010	हिमाचल बिस्तर भंडार ऊना	30177
3	142	24.2.2010	शर्मा टैन्ट हाऊस श्री नयना देवी जी	2200
4	202	15.3.2010	–यथोपरि–	2820
5	359	4.5.2010	–यथोपरि–	3788
6	597	23.7.2010	स्टीकेज आऊटडोर एडवेंचर स्पोर्टस दिल्ली	27500
7	636	4.08.2010	–यथोपरि–	37000
8	751	3.9.2010	शर्मा टैन्ट हाऊस श्री नयना देवी जी	24320
9	856	18.9.2010	–यथोपरि–	23700
10	1151	16.12.2010	–यथोपरि–	6935
11	1184	31.12.2010	–यथोपरि–	6426

12	142	19.02. 2011	शर्मा टैन्ट हाऊस श्री नयना देवी जी	2073
13	355	12.05. 2011	–यथोपरि–	2395
14	373	23.5.2011	–यथोपरि–	400
15	682	17.08. 2011	–यथोपरि–	31364
16	942	14.11. 2011	शर्मा टैन्ट हाऊस श्री नयना देवी जी	1075
17	943	16.11. 2011	–यथोपरि–	18131
18	311	23.4.2011	–यथोपरि–	1437
19	866	21.10. 2011	–यथोपरि–	24035
			कुल व्यय की गई राशि (₹)	**₹296071**

इसके अतिरिक्त उपरोक्त मद संख्या 19 पर वर्णित बिल संख्या 866 दिनांक 20.10.11 की जांच पर पाया गया कि बिल में 4 नं0 टेबल एण्ड सीट का किराया ₹1000/–बनता था जबकि बिल राशि की गणना सही न करते हुए ₹1000/–के स्थान पर ₹1100/–का भुगतान किया गया है। अतः अधिक भुगतान की ₹100/– की वसूली अपेक्षित है।

24 संजीव कुमार चालक की नियमित नियुक्ति के सन्दर्भ में:–

सन्जीव कुमार चालक की पर्सनल नस्ति के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी को श्री नयना देवी जी के कर्मचारी सेवा उप–नियम 1994 एवं संशोधित नियम 1996 के नियमों के अन्तर्गत व हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या पर्सनल (ए0पी0)–(सी)–(13)–(12)–1/2006–खण्ड–II दिनांक 18 जुलाई 2007 व पत्र संख्या पर्सनल (ए0पी0)–(सी)–(12)–1/2006–खण्ड–V दिनांक 9.12.2008 की अनुपालना में 8 वर्ष की सेवाकाल (दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी) पूर्ण करने पर, अध्यक्ष मन्दिर न्यास के पत्र संख्या टी0टी0एन0डी0–भर्ती/2008–949–52–दिनांक 11.11.2008 द्वारा नियमित किया गया तथा उन्हें

चालक का वेतन मान 3330–6200 प्रदान किया गया। उक्त कर्मचारी की सेवा पंजिका के अवलोकन पर पाया गया कि सेवा पंजिका के कालम–7 में शैक्षणिक योग्यता मेटिंग दर्ज की गई है जबकि उनकी पर्सनल नस्ति की जॉच पर पाया गया कि कर्मचारी द्वारा हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र माध्यमिक स्तर सितम्बर 1991 (रोल नं0 47640) दिनांक 6.1.92 का संलग्न किया गया है जबकि हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं पूर्व विनयास अधिनियम 1984 व न्यास कर्मचारी By laws–1994 व संशोधित By Laws–1996 के भाग–II–Classification of posts – व भाग–IV में दर्शाई "General condition of Services" के शैडयूल के क्रम 4 में चालक को तृतीय श्रेणी में रखा गया है जिसमें चालक की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक रखी गई है तथा इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि सन्जीव कुमार चालक शैक्षणिक योग्यता पूर्ण नहीं करता है क्योंकि उनकी नस्ति में माध्यमिक स्तर का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। अतः इस प्रकरण में संस्था स्तर पर जांच करके वस्तुस्थिति से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

25 मन्दिर में कार्यरत भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों के बारेः–

निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 167/99 दिनांक 29.4.2000 व कार्यालय जिला भाषा अधिकारी जिला बिलासपुर के पत्र संख्या भा0 स0 दिनांक 29/2002 स्थापना 552 दिनांक 6.6.08 के दृष्टिगत मन्दिर न्यास श्री नयना देवी में विभाग द्वारा नियुक्त मन्दिर अधिकारी व अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन के उपलक्ष में मन्दिर न्यास द्वारा प्रत्येक वर्ष बजट में प्रावधान रखकर ₹805000/–की भाषा एवं संस्कृति को भेजी जाती है। यह प्रक्रिया केवल पत्र के माध्यम से की जा रही है जबकि मन्दिर न्यास में तैनात मन्दिर अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन का लेखा जोखा रखकर वास्तविक वेतन तथा भत्तों की राशि को भेजा जाना अपेक्षित है। अतः परामर्श दिया जाता है कि इस प्रकरण में मन्दिर अधिकारी तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों बारे मामले को भाषा एवं संस्कृति विभाग से शीध्र उठाए जाए तथा वस्तुस्थिति एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

26 निर्माण कार्यः—

मन्दिर न्यास द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यो से सम्बन्धित निम्नलिखित अभियुक्तियॉ पाई गईः—

(क) मन्दिर न्यास द्वारा निक्षेप कार्य (डिपोजिट वर्क) करवाने हेतु भुगतान की गई ₹2862956/— के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारेः—

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी द्वारा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मण्डल—2 बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड एवम हिमाचल प्रदेश आवास प्राधिकरण (हिमुडा) शिमला के मामध्यम से डिपोजिट कार्य करवाने हेतु निम्न विवरणानुसार ₹2862956/—का भुगतान किया गया, परन्तु जमा करवाई गई इन राशियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण के दौरान नहीं दर्शाए गए जिसके अभाव में भुगतान की गई राशि का सत्यापन सम्भव नहीं हो सका। अतः अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र शीध्र प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाएं।

कार्य का नाम	जिस संस्था से कार्य करवाया गया	बिल सं0/माह दिनांक	लेजर पृ0	राशि
शिफटिंग ऑफ 11 के0वी0—एच0टी0 साईज नजदीक गुफा	हि0प्र0 राज्य विद्युत डिविजन बिलासपुर	426—8.6.11	289	998165
रिमूबल आफ स्लिप नजदीक शर्मा पैलस	हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग बिलासपुर	246—1.4.11	278	30000
कार पार्किंग का निर्माण समीप राय व	हि0प्र0 आवास प्राधिकरण	390—28.5.11	287	289810
ड्राईंग एवं estimate तैयार करवाने पर	मैसर्ज शारदा इग्लोसिटड कम्पसूटी	390—8.6.11	287	144981
स्वारघाट से भावड़ा तक सड़क को गौड़ा करने के लिए	हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग बिलासपुर	390—1.11.11	312	1400000
		योग		**₹2862956**

(ख) संविदाकारों द्वारा निर्माण कार्य को समय पर पूर्ण न करने तथा बीच में छोड़ कर चले जाने पर भी हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस कार्ड के अनुसार नियमानुसार उचित कार्रवाई न करने बारेः—

मन्दिर न्यास द्वारा अपने स्त्तर पर आंबटित कार्यों में कुछ कार्यों कों संविदाकरों द्वारा बीच में छोड़ दिया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा पब्लिक वर्कस नियमों के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई। अतः सम्बन्धित संविदाकारों पर उचित करके उनकी प्रतिभूति राशि Earnnest Money को जब्त किया जाए तथा ऐसे संविदाकरों को भविष्य हेतु "Black List" भी किया जाए।

क्र0सं0	**फर्म का नाम**	**संविदाकार का नाम**	**आंबटित राशि**	**कार्य को बीच में छोडत्रकर जाने का विवरण**
1	Installation of 25mtr. high mass light system near Parking area near guffa	मैसर्ज कोहली इल्कोटिनक होशियारपुर 14600	497479	सं0 BS—TTND—09—05—2011
2	Camp House Building Executive magistrate & police officer	मैंसर्ज अरविन्द कुमार गांव एवं डाकघर नकराना बिलासपुर	3214477	कोई वर्णन नहीं
3	Improvement of path from step No. 535 to 578	हरी प्रकाश मेहता शिमला	1858843	सं0 BS—TTND—4415—4420DT 11—5—2012
4	Rain Harvesting storage tank	मैसर्ज प्रवीन कुमार वोहनी हमीरपुर	683779	
5	Beautification of kala Johar	जोगिन्द्र सिंह नकराना	639453	कोई वर्णन नहीं

6	Development of Parking area Ghundwal Chowk	अमर सिंह धण्डावल श्री नयना देवी जी	186107	कोई वर्णन नहीं
7	Special Repair of Kaulan Balla Toba RD-0255 to 0585	सन्दीप कुमार डहोह श्री नयना देवी जी	230573	
8	Special Repair	सन्दीप कुमार डहोह श्री नयना देवी जी	288620	
9	Rain Shelter on Path from Kaulan Bala Toba & RD3/300	श्याम लाल नकरा श्री नयना देवी जी	787042	कोई उल्लेख नहीं

(ग) कार्य का नामः– रैन शैल्टर न्यू बस स्टैंड से सिंह द्वार

संविदाकार का नामः– अजमेर सिंह जिला बिलासपुर

अवार्ड पंत्र सं0ः– वी0एल0ए0टी0टी0एन0डी0 निर्माण–3005–3614 दिनांक 4.11.2008

समय सीमाः– 11 माह

कार्य प्रारम्भ करने की तिथिः– 1.1.2009

अनुमानित राशिः– 2496779

अवाडिड राशिः– 5001348

चलित बिन सं0ः– प्रथम से अन्तिम बिल

उपरोक्त वर्णित कार्य श्री अजमेर सिंह संविदाकार को पत्र संख्या वी0एल0ए0टी0टी0एन0डी0 निर्माण–3614 दिनांक 4.11.2008 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस शेडयूल 1999 के आधार पर आंबटित किया गया जो कि अनुमानित लागत का 10.9**%** पाया गया। उक्त निर्माण कार्य हेतु अपेक्षित स्वीकृति भाषा एवं संस्कृति विभाग के पत्र संख्या भा0सं0–नि01–2008 मन्दिर–17 मार्च 2008 को प्राप्त की गई। उक्त वर्णित कार्य के तृतीय बिल की जांच करने पर निम्न आपत्तियों पाई गईः–

(i) ₹6800 का अधिक भुगतान बारेः—

मद संख्या 5 (शैडयूल ऑफ कवान्टी जिस का नामीकलेचर Providing/Laying cement concrete 1:2:4 excluding the cost of from work reinforcement concrete.

walls of any thickness but no less then 0.10 meter and plaster की रिकार्ड प्रविष्टियॉ निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 82 पर दर्ज की गई

पृ0 सं0 53	7.436 cm
पृ0 सं0 58	6.284 cm
पृ0 सं0 60	14.207 cm
पृ0 सं0 38	6.149
योग	**34.076 cm**

परन्तु भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिका पर उक्त मद की मात्रा को 36.076cm दर्शाकर संविदाकार को 2.00 cm के लिए ₹3400/— प्रति cm की दर से ₹6800/—का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसकी संस्था स्तर पर जांच करके अपेक्षित वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ii) अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत 180 बोरी सीमेन्ट संविदाकार को जारी करने बारेः— ₹49131/—

अवार्ड पत्र एव अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार संविदाकार को न्यास से कोई भी सामग्री जारी नहीं की जानी थी। तृतीय बिल की पड़ताल पर पाया गया कि कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा इण्डेन सं0 51 दिनांक 25.4.2010 द्वारा 180 बोरी सीमेन्ट 272.96 की दर से संविदाकार को जारी की गई व तृतीय चलित बिल में उसी दर से वसूली भी कर ली गई। अतः अनुबन्ध की शर्तों के विपरीत संविदाकार को सीमेन्ट जारी करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा सीमेन्ट की खपत विवरणिका भी तैयार नहीं की गई जिसे तैयार करके सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(iii) मन्दिर न्यास द्वारा कार्य स्थल से निम्न सामग्री प्राप्त करके MAS Register पर अंकित की गई दर्शाई गई है परन्तु सम्बन्धित एम0ए0एस0 को अंकेक्षण पर जांच हेतु प्रस्तुत नहीं गया। अतः प्राप्त सामग्री की पुष्टि अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण पर करवाई जानी सुनिश्चित की जाए।

GRT Stone 159.65

Boulder Stone 159.60

Boulder Stone 38.39

(घ) कार्य का नामः— डिवलेपमैनट ऑफ पार्किंग ऐरिया कौलाबाला टोबा

संविदाकार का नामः— श्री अजमेर सिंह

अवार्ड पत्र सं0ः— BLS-TIMD निर्माण—3664—दिनांक 4.11.2008

कार्य प्रारम्भ करने की तिथिः— 18.11.2008

अनुमानित राशि 1298953

आंबटित राशिः— 2572205

अर्नसड मनीः— 30000

चलित बिलः— चौथा एवं अन्तिम बिल

उपरोक्त वर्णित कार्य श्री अजमेर सिंह संविदाकार गांव खरियाना डाकखाना जगातखाना स्वारघाट जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को अवार्ड पत्र संख्या टी0टी0एन0डी0—निर्माण 3077 दिनांक 21.9.2008 द्वारा ₹2572205/—में आंबटित किया गया।

(i) उक्त कार्य के चौथे एवं अन्तिम बिल के अवलोकन पर पाया गया कि उक्त कार्य में निम्नलिखित प्रतिस्थापित मदों को भी निष्पादित किया गया परन्तु इन प्रतिस्थापित मदों की दरों को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति सें अनुमोदति नहीं करवाया गया। अतः इस प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

मद का नाम	**मात्रा**	**दर**	**₹**
Second class brick work using common burnt day	7.01m3	2476.56 cm	17357
Foundation & trenchwith cement maker 1:6	60.15	290.00	17443
		योग	**24800**

(ii) उक्त वर्णित कार्य श्री अजमेर सिंह संविदाकार को आंबटित किया गया परन्तु यह कार्य "Power of Attorny" के आधार पर रमेश चन्द सुपत्र श्री कृष्ण सिंह गांव स्वाहण द्वारा किया गया जो कि पब्लिक वर्कस विभाग के नियम के विपरीत है। अतः "Power of Attorney" के आधार पर कार्य करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

(ङ) कार्य का नामः— डब्लयू सी ब्लाक—आफ पाथ फरोम बस स्टैन्ड से सिंह द्वार RD/0120
संविदाकार का नामः— रमेश कुमार गांव एन डाकघर स्वेण जिला बिलासपुर
पत्र सं0ः— टी0टी0 एन0डी0—5/9—108—1682—1686
कार्य प्रारम्भ करने की तिथिः— 1.10.09
समय सीमाः— 6 माह
आंबटित राशिः—817579
Estemate Cost:— 438805
स्वीकृत राशिः— 98060
चलित बिलः— तृतीय बिल

उपरोक्त वर्णित कार्य श्री रमेश कुमार संविदाकार को अवार्ड पत्र संख्या टी0टी0एन0डी0—निर्माण एम0ए0—5(9)—108—1682—1686 दिनांक 8.6.2009 द्वारा ₹817579/— पर आबटित किया गया। इस कार्य के लिए संविदाकार को अन्य मदों के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रतिस्थापित मदों का ₹23706/—का भुगतान किया दर्शाया गया है परन्तु इन प्रतिस्थापित मदों की दरों का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से नहीं करवाया गया। अतः इस प्रकरण में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

		मात्रा	दर	राशि
1	प्रोवाईडिंग फोर्म वर्क विम स्टील प्लेट 3. 15 एमएम—बिथ एंगल 30x30x5 vertical surface sucre as water in item No. 0805040100	40.46	105	4206
2	प्रोवाईडिंग एवं लेईंग सीमेन्ट कंन्क्रीट 1:2:4 – 20mm nominal size (walls & thickness) Stone No. 0932010	60.00	3250	1950
			योग	₹23706

(च) कार्य का नामः— रैन शैल्टर Neal Existing Rain Harvesting Storage Tank -W.C Block

संविदाकार का नामः— सन्जीव कुमार

प्राकलन अनुमोदित राशिः— 970400

Estimated cost:— 448074

टैण्डर राशिः— 1069980

नेगोसिऐशन राशिः— 817908

समय सीमाः— 11 माह

उक्त वर्णित कार्य संविदाकर श्री सजीव कुमार को अवार्ड पत्र संख्या टी0टी0एन0डी0—निर्माण—एम0ए0—1(1)—08—1699—1706 दिनांक 8.6.09 द्वारा ₹817908/— में आंबटित किया गया था। संविदाकार के चौथे एवं वित्तीय बिल की जांच/पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार द्वारा शेडयूल आफ कवान्टीटी के अतिरिक्त निम्न विवरणानुसार मदों का भी निष्पादन किया गया जिस की दर विश्लेषण अंकेक्षण पर प्रस्ततु नहीं की गई, जिसके अभाव में दिए गए भुगतान की राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

मद संख्या 1:—

	मात्रा Cobil Meter	**दर**	**राशि**
Vertical surface such as walls	85.00	60	5105
Column pillar and post (Reinforcement in plan)	73.20	95	6954
Item no. P/L 1:2:4 Cont. of fine work -walls notless then 0.10 Mt. 1/C attached foundation to floor teo lines Extra Item P/L Cement conctete 1:2:4 in foundation 2 plinth	10.0	3100	31006
RR massonary/Polyglobal with hard stone 1:6 in foundation & plinth	1.54	1960	1372
Demoliation below G.L. upto 1.50 mtr. Depth of	0.70	3085	4753
	0.83	38	323
		योग	**₹49513**

अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाए।

(छ) कार्य का नामः— स्पेशल रिपेयर ऑफ पटियाला धर्मशाला भवन

सविदाकार का नामः— एच0पी.मेहता संविदाकार

अनुमानित राशिः— ₹278360 / —

समय सीमाः— 6 माह

अरर्नसट मनीः— 7000

उपरोक्त कार्य संविदाकार श्री एच0पी0मेहता शिमला को अवार्ड पत्र संख्या टी0टी0एन0डी0—निर्माण—16 / 1—2008 3373 — 3385 दिनांक 7.10.2008 द्वारा ₹36511100 / —में आंबटित किया गया। संविदाकार के प्रथम व द्वितीय एवं अन्तिम बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि शडयूल आफ कवान्टीटी में दर्शाई गई मदों के अतिरिक्त निम्नविवरणानुसार अन्य मदों को भी संविदाकार मे ंनिष्पादित करवाया गया।

मद का नाम	**मात्रा**	**दर**	**राशि**
	5.248	1725	9053
Providing and fixing Aluminium shutters with complete	27.219	1725	46953
Providing and fixing Aluminium grill	28.64	310	88784
P/F Aluminium work frame & shutters with tower blot	26.898	1310	83383
Appling a past of putty single coat on walls	1122.52	25	28064
Coloured 2 glazzes -6mm thick	37.08	700	25956
Brivk work in xm 1:6 foundation & plinth	3.143	1600	5136
		योग	**₹287379**

उक्त निष्पादन की गई मदों का न तो प्राकलन तैयार किया गया था न ही दर विश्लेषण दरें बिल में सलग्न पाई गई जिसके अभाव में दरों का सत्यापन नहीं किया जा सका। अतः अपेक्षित अभिलेख तैयार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ज) कार्य का नामः– लंगर भवन के नजदीक स्थित धर्मशाला का मुरम्मत कार्य
संविदाकार का नामः– श्री नीरज कुमार
आंबटन पत्र सं0:– वी0एल0एस0 / टी0टी0एन0डी0क्र0सं0 टकुशन 16 (11) 3 / 2008 दिनांक 31.12.2008 इन्स्ड नं0 3983 से 3993 दिनांक 31.12.2008

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के वाऊचरों की जांच करने पर पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा लंगर भवन के नजदीक स्थित धर्मशाला के मुरम्मत कार्य में निम्न अतिरिक्त मदों का निष्पादन करवाया गया जो कि शैडयूल ऑफ कवान्टीटी में सम्मिलित नहीं थी परन्तु इन अतिरिक्त मदों को निष्पादित करवाने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमोदन / स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई। अतः अतिरिक्त मदों के निष्पादन हेतु सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(अतिरिक्त कार्य विवरण)

क्र0सं0	मद का नाम	पारित मूल्य / दर	मात्रा	(₹)	टिप्पणी
1	P/F Aluminium Shutter	1725	23.74	40952	मन्दिर न्यास के अधिशासी अभियन्ता के निर्देश पर कार्य किया गया
2	P/F Aluminium fan	1725	27.40	47265	–यथोपरि–
3	P/F Aluminium sliding door bolt	150	21	3150	–यथोपरि–
4	Putty filling	25	882.54	22063	–यथोपरि–
5	Excavation	130	24.46	3180	–यथोपरि–
6	Demolition concrete	3300	12.056	39785	–यथोपरि–
7	15mm C.P. in	70	643.62	45053	–यथोपरि–

	C.M. 1:6				
8	Demalitic of RCC	दर (मूल्य) दर्शाया नहीं गया	3.283	26566	–यथोपरि–
			योग	**₹228014**	

27 भुगतान से सम्बन्धित अन्य अनियमितताएं:–

(क) वाउचर संख्या 140, माह 11/10, ₹13625/–

उपरोक्त वर्णित बिल/वा0सं0 की जांच करने पर पाया गया कि मैसर्ज धवन ट्रेडिंग कम्पनी नालागढ़ जिला सोलन द्वारा प्रेषित बिल संख्या 16, 29, 33, 54, 62 व 64 दिनांक क्रमशः 1.10.10, 15.10.10, 10.10.10, 6.11.10, 12.11.10 व 15.11.10 के अन्तर्गत मन्दिर न्यास की दुकान के लिए भोग प्रसाद की सामग्री की आपूर्ति की गई जिसका भुगतान मन्दिर न्यास द्वारा चैक संख्या 5257842 दिनांक 22.11.10 द्वारा किया गया। उक्त बिलों की पड़ताल पर पाया गया कि बिल संख्या 54 दिनांक 6.11.2010 के अन्तर्गत 120 बोरी नारियल ₹515 प्रति बोरी दर से प्राप्त करके इसकी प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर पृ0 107 पर की गई। अंकेक्षण को चर्चा के दौरान बताया गया कि एक बोरी में 60 नग नारियल होते है तो इस प्रकार 120 बोरी में 7200 नारियल की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि करनी अपेक्षित थी जबकि मन्दिर न्यास द्वारा केवल प्राप्त 120 बोरियों की ही प्रविष्टियां दर्ज करके मन्दिर न्यास कर्मचारियों को बिक्री हेतु जानी की गई। इस प्रकार अनियमित प्रकार से स्टॉक प्रविष्टियॉ करने के कारण नारियल की कुल संख्या का आंकलन नहीं किया जा सका। यदि बोरी के स्थान पर नारियल की संख्या की गणना करके स्टॉक में प्रविष्टि की जाती तो वास्तविक में क्रय की गई मात्रा व बिक्री की मात्रा की पुष्टि सम्भव हो सकती थी। अतः स्टॉक रजिस्टर से नारियल की मात्रा के अनुसार प्रविष्टियॉ न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं।

(ख) वाऊचर संख्या 143, दिनांक 22.11.10, ₹13580.00

उपरोक्त वर्णित बिल/वा0 सं0 द्वारा मैसर्ज परमजीत सुपुत्र सुखराम गांव सलौआ जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को 9700 नग प्रसाद की टोकरियां क्रय उनके बिल संख्या शून्य 1.11.2010 के एवज में किया गया दर्शाया गया है। इस सन्दर्भ में सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा टोकरियों की आपूर्ति निम्न प्रकार से मन्दिर न्यास द्वारा संचालित दुकान के लिए की गई थी परन्तु मन्दिर न्यास द्वारा स्टॉक रजिस्टर

में बिल में वर्णित मात्रा का इन्द्राज दिनांक के अनुसार न करके इकटठे दर्शाया गया है जिसके कारण स्पष्ट किए जाएं।

माह/दिनांक	प्राप्त नग
3.10.10	1000
5.10.10	500
7.10.10	500
8.10.10	700
9.10.10	400
11.10.10	500
13.10.10	500
15.10.10	500
16.10.10	500
17.1.10	400
21.10.10	300
22.10.10	400
23.10.10	400
24.10.10	400
25.10.10	500
26.10.10	400
29.10.10	600
30.10.10	500
31.10.10	700
	9700 नग

(ग) वाऊचर संख्या 997, दिनांक 3.11.10, ₹476.00

उपरोक्त वर्णित बिल/वा0सं0 के अन्तर्गत फल विद्यायन केन्द्र बिलासपुर से उनके बिल संख्या 17354 दिनांक शून्य के एवज में 34 बोतल जूस (₹14 प्रति दर से) की खरीद हेतु ₹476/–का भुगतान न्यास निधि से किया गया है जो कि न्यास निधि पर उचित

प्रभार प्रतीत नहीं होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से उक्त व्यय को नियमित करवाया जाए।

(घ) वाऊचर संख्या 1037, दिनांक 15.11.2010, ₹6338/–

उपरोक्त वर्णित बिल/वा0सं0 के अन्तर्गत थाना कोट कहलूर की गाड़ी संख्या एच0पी0 27 –ए–3577 की रिपेयर पर चण्डीगढ़ मोटर वर्कस शॉप एवं सर्विस स्टेशन लमलेहड़ी को उनके बिल संख्या 495 दिनांक 12.8.10 के एवज में ₹2315/–का भुगतान व मैसर्ज अनन्त सर्विस स्टेशन स्वारघाट को उनके बिल संख्या 00167 दिनांक 10.8.10 के एवज में 75 लीटर प्रैट्रोल के क्रय पर ₹4023/–का भुगतान किया गया दर्शाया गया है। इस सन्दर्भ से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि यह व्यय अशिवन नवरात्र मेला 2010 के दौरान मेला प्रबन्ध शीर्ष से अदा किया गया है तथा थाना कोट कहलूर द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि गाड़ी के लिए पैट्रोल का क्रय एवं रिपेयर से सम्बन्धित कार्य को सम्बन्धित रजिस्टरों पर दर्ज कर दिया गया परन्तु लॉग बुक एवं रिपेयर बुक की छाया प्रतियों के अभाव में थानाकोट कहलूर की गई प्रविष्टिओं की सत्यता की जांच तथा व्यय की पुष्टि सम्भव नहीं हो सकी। अतः परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त भविष्य में इस प्रकार व्यय हेतु प्रत्येक बिलों के साथ उनकी छाया प्रतियां संलग्न करनी अनिवार्य की जाए।

(ङ) वाउचर संख्या 1039, दिनांक 15.11.2010, ₹9958/–

उपरोक्त वर्णित बिल/वां0सं0 के अन्तर्गत वर्ष 2010 के अशिवन नवरात्र मेलों के दौरान मैसर्ज गोविन्द मेडिकल ऐजेन्सी सन्तोषगढ़ जिला ऊना से उनके बिल संख्या जी0एस0ए0–3979 दिनांक 16.10.10 के एवज में ₹9998/–की दवाईयों का क्रय किया गया जिनका भुगतान चैक संख्या 124394–95 दिनांक 15.11.2010 द्वारा किया गया। इस सन्दर्भ में सम्बन्धित विपत्र एवं अभिलेखों की पड़ताल पर पाया गया कि अध्यक्ष (मन्दिर) न्यास के आदेशानुसार/पत्र संख्या जी0एल0एस0/टी0वी0एन0डी0–मेला–10–दिनांक 5.10.2010 में यह पूर्णतया स्पष्ट किया गया है कि मेले के दौरान प्रयोगार्थ दवाईयो का क्रय मेडिसन फेयर प्राईस शाप जिला बिलासपुर से ही किया जाए जबकि यह दवाईयॉ उक्त आदेशों की अवहेलना करते हुए प्राईवेट दुकानों से क्रय की गई। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान दवाईयों के स्टॉक रजिस्टर/भण्डारण रजिस्टर को भी जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। अंकेक्षण के दौरान

यह भी पाया गया कि उक्त बिल पर मेडिसन PARMOL-PC की दर ₹180/–अंकित की गई जबकि कुटेशनों पर दर ₹160.00 दर्ज पाई गई। इस प्रकार फर्म को अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली भी अपेक्षित है।

(च) वाऊचर संख्या 1045, दिनांक 15.11.2010, ₹900/–

उक्त वर्णित बिल/वा0 संख्या द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड हमीरपुर को उनके बिल संख्या 121529307 दिनांक 7.9.2010, के एवज में मोबाईल नं0 94180–94002 के बिल के लिए ₹900/–का भुगतान किया गया। बिल की जांच करने पर पाया गया कि बिल की ₹833/–देय बनती थी जबकि भुगतान चैक संख्या 124401 दिनांक 15.11.10 ₹900 का किया गया। इस प्रकार ₹67/–का अधिक भुगतान भारत संचार निगम हमीरपुर को किया गया। अतः उक्त अधिक किए गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए।

(छ) वाऊचर संख्या 1050, दिनांक 15.11.2010, ₹11500/–

उपरोक्त वर्णित बिल/वां0 संख्या के अन्तर्गत ₹11500/–का भुगतान, दिनांक 6.10.2008 को नयना देवी एवं कौलावाला टौबा के समीप गॉव मौहला में यात्रियों की प्राईवेट बस दुर्धटनाग्रस्त होने के कारण आर्थिक सहायता के रूप में किया गया जिसकी कार्योत्तर स्वीकृति अध्यक्ष (मन्दिर न्यास) द्वारा दिनांक 10.10.2008 को प्रदान की गई थी। जिन श्रद्धालुओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई विवरण निम्न से पाया गयाः–

क्रमांक	नाम एवं पता	अनुदान राशि
1	सीमा पत्नी कृष्ण कुमार गॉव सोहनपुर जिला बुलेन्दशहर यू0पी0	4000
2	हरप्यारी पत्नी शुभराम गॉव जहानगीर कर बुलेन्दशहर	3000
3	सुखराम पुत्र कबुराम बुलेन्दशहर	500
4	पप्पु पूर्ण सुखराम बुलेन्दशहर	500
5	शंकर पुत्र राजवहर शर्मा	500
6	बबलू पुत्र शकुन्ता देवी	500
7	धर्मपाल पुत्र बुध सिंह	500

8	रामशाह पुत्र नैन सुख बुलेन्दशहर	500
9	सतवीर पुत्र बुद्धसिंह बुलेन्दशहर	500
10	राजेन्द्र सुपुत्र पप्पु बुलेन्दशहर	500
11	विवके पुत्र बुलेन्दशहर	500
	योग	**₹11500**

उक्त बिल के अवलोंकन पर पाया गया कि यद्यपि यह राशि दुर्धटना होने पर दिनांक 6.10.2008 को ही बांट दी गई दर्शाई गई थी परन्तु खर्चा वित्तीय वर्ष 2008 में बुक न करके माह 11/2010 को किया दर्शाया गया है जो कि लगभग दो वर्ष के प्श्चात दर्शाया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकरण में अपेक्षित छानबीन करके वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ज) वाऊचर संख्या 1082, दिनांक 23.11.2010, ₹32990/—

उपरोक्त वर्णित बिल/वा0सं0 के अन्तर्गत आपूर्तिकर्ता के बिल संख्या 849 दिनांक 10.8.2010 के एवज में चैक संख्या 124412 दिनांक 23.11.2010 द्वारा ₹32990/—का भुगतान किया गया है। उक्त बिल के अवलोकन पर पाया गया कि यह सामग्री गुफा के समीप गाड़ियों की पार्किंग स्थल पर "लाईट" लगाने पर किया गया। इस प्रकरण में कनिष्ठ अभियन्ता मन्दिर न्यास द्वारा यह सत्यापित किया गया है कि इस बारे के लिए "Cable & Joint" का क्रय हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा अनुमोति दरों पर किया गया है परन्तु हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति बिल/विपत्र के साथ संलग्न नहीं पाई गई और न ही अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई जिसके अभाव में भुगतान की राशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

28 विविधः—

(क) मन्दिर न्यास द्वारा विभिन्न रसीद बुकों को उपयोग उपरान्त कुछ रसीदों को अधूरी/खाली छोड़ने बारेः—

मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि निम्न विवरणानुसार न्यास द्वारा विभिन्न रसीद बुकों को उपयोग करने के उपरान्त कुछ रसीदों को अधूरी अथवा खाली छोड़ा गया जो उचित नहीं है। अतः सुझाव दिया जाता है कि अधूरी/खाली

छोड़ी गई विभिन्न रसीद बुकों को उपयोग में लाया जाऐ तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाए।

क्र0सं0	माह / वर्ष	दिनांक	रसीद नं0 रसीद नं0 तक	टिप्पणी
1	8 / 2010	2.8.2010	111072 से 111100 तक	अधूरी छोड़ी गई
2	8 / 2010	2.8.2010	112150 से 112200 तक	–यथोपरि–
3	8 / 2010	3.8.2010	110178 से 110200 तक	खाली छोड़ी गई
4	8 / 2010	4.8.2010	108887 से 108900 तक	–यथोपरि–
5	8 / 2010	10.8.2010	108755 से 108800 तक	–यथोपरि–
6	8 / 2010	17.8.2010	108643 से 108700 तक	अधूरी छोड़ी गई
7	12 / 2010	19.12.2010	114570 से 114600 तक	–यथोपरि–
8	3 / 2011	22.3.2011	110241 से 11300 तक	खाली छोड़ी गई
9	4 / 2011	3.4.2011	98685 से 98700 तक	–यथोपरि–
10	7 / 2011	23.7.2011	112071 से 112100 तक	–यथोपरि–
11	7 / 2011	23.7.2011	115768 से 115800 तक	रसीदें अधूरी छोड़ी गई
12	7 / 2011	25.7.2011	117294 से 117300 तक	–यथोपरि–
13	8 / 2011	5.8.2011	114673 से 114700 तक	–यथोपरि–
14	8 / 2011	6.8.2011	117858 से 117900 तक	–यथोपरि–

(ख) अभिलेख प्रस्तुत न करनाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा वर्ष 2010 में गरीब लड़कियों की शादी पर सहायता स्वरूप ₹5100 / –व तीन सूट, 2 सीड़ी अनुदान स्वरूप दी गई जिससे सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः इन अभिलेखों को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) अग्रिम राशिः—

वर्ष 2011 के दौरान पत्र संख्या वी0एल0एस0—एल0टी0जी0—1(2)/89/57961 दिनांक 27.12.2011 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को अग्रिम ₹120405/—की अदायगी की गई जिसका लेखांकन रोकड़ वही पृ0 393 पर दर्ज किया पाया गया है परन्तु उक्त अग्रिम राशि का समायोजन अंकेक्षण अवधि तक नहीं करवाया गया। अतः उक्त राशि के समायोजन से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत करने सुनिश्चित किए जाएं।

(घ) टैम्पू नीलामी विज्ञापनः—

बिल संख्या 985 दिनांक 1.11.2010 के अन्तर्गत मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी के स्वराज माजदा टैम्पू संख्या एच0पी0—24—ए—0112 की नीलामी के लिए पंजाब केसरी जालन्धर में विज्ञापन देने के लिए उनके बिल सं0 100102784 दिनांक 24.9.10 के एवज में ₹3040/—का भुगतान किया गया दर्शाया गया है। यह खर्चा लंगर व्यय शीर्ष में डाला दर्शाया है जो कि उचित प्रतीत नही होता है। इसके अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वास्तविक रसीद अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में खर्चे की पुष्टि सम्भव नहीं हो सकी। अतः उक्त अनियमितता को स्पष्ट करने के अतिरिक्त मूल रसीद भी आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत की जाए।

(ङ) मानदेय भत्ते की अदायगीः—

बिल संख्या 987 दिनांक 3.11.2010 द्वारा श्री प्रवेश खन्ना सहायक अभियन्ता हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस विभाग श्री नयना देवी जी को माह अक्तूबर 2010 का मानदेय भत्ता ₹1500/—प्रति माह की दर से मन्दिर न्यास के डिवलपमैन्ट कार्य की जांच भुगतान किया गया दर्शाया गया है। अवलोकन पर पाया गया कि उक्त व्यय को प्रशासनिक व्यय शीर्ष में डेबिट किया गया है जबकि यह व्यय मन्दिर न्यास के "Development and repair of works" शीर्ष से अदा किया जाना था। अतः संस्था स्तर पर जांच करके भविष्य में मानदेय भत्ते की सम्बन्धित शीर्ष में ही करनी सुनिश्चित की जाए।

(च) जलपान के बिल का भुगतानः–

बिल संख्या 396 दिनांक 3.11.10 द्वारा जलपान की ₹900/– का भुगतान मन्दिर न्यास के प्रशासनिक व्यय शीर्ष में बुक करके खर्च किया गया है। यह व्यय मन्दिर न्यास के उक्त शीर्ष पर उचित प्रभार प्रतीत नहीं होता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से इस व्यय को नियमित करवाया जाए।

(छ) प्रत्यक्ष सतयापनः–

मन्दिर न्यास के अंकेक्षण अवधि 2010–2011 के दौरान द्वारा मन्दिर न्यास कन्जयूमेबल एवं नान–कन्जयूमेबल सामग्री का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया। अतः अपेक्षित प्रत्यक्ष सत्यापन करवाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

29 **लधु आपति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

30 **सारांशः–** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)186/96 खण्ड–9–4042–4046 दिनांक 17.06.2013, शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है :–

पंजीकृतः–1. मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री नयना देवी, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर प्रेषित करने सुनिश्चित करे।

2. प्रधान सचिव (भाषा विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2
3 उपायुक्त एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री नयना देवी जी, जिला बिलासपुर, हि0प्र0
4 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग, हि0प्र0 शिमला–9
5 श्री यशवीर सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा............................

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट "A"

(1) लेखा प्रतिवेदन अवधि 17.12.85 से 31.12.95

1	पैरा–5 (ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा–5 (घ)	अनिर्णीत	
3	पैरा–26	निर्णीत	(मैसर्ज करतार सिंह एण्उ सन्ज ऊना से बिल संख्या 673 निांक 23.3.95 द्वारा क्रय कोयला भुगतान में ₹9905.00 का अधिक भुगतान/वसूली शेष नहीं बनती है। अभिलेख में सही पाई गई)
4	पैरा–29 (क)	अनिर्णीत	
5	पैरा–29 (ख)	निर्णीत	(श्री राम कृष्ण लिपिक व श्रीमती मीरा ठाकुर से मकान किराया भत्ता की ₹1695.00 व ₹1580.00 की वसूली शेष के बारे में संयुक्त निदेशक के निरीक्षण उपरान्त पैरा व वसूली दिनांक 22.11.12 को की गई)
6	पैरा–29 (ग)	निर्णीत	(सरकार भत्ते की ₹10819.00 की वसूली शेष के बारे स्पष्टीकरण मद संख्या 21–दिनांक 24.6.89 द्वारा अनुमोदित)
7	पैरा–29 (घ)	अनिर्णीत	
8	पैरा–36 (ढ)	अनिर्णीत	

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/96 से 12/97 व 1/99 से 12/99

1	पैरा–11	अनिर्णीत	
2	पैरा–39	निर्णीत	(₹37100/–के भुगतान की स्वीकृति अध्यक्ष महोदय से प्राप्त करने बारे व अधिशासी अभियन्ता मण्डल–2 बिलासपुर से उपयोगिता

			प्रमाण पत्र प्राप्त करने उपरान्त देख लिया गया है स्वीकृति देख ली गई है)
3	पैरा–64 (4) (17)	निर्णीत	
4	पैरा–64 (4) (21)	निर्णीत	
5	पैरा–64 (4) (25)	निर्णीत	
6	पैरा–70	अनिर्णीत	
7	पैरा–72 (3)	निर्णीत	(स्पेनियर कार स्टीरियों स्पीकर का क्रय बिना औपचारिकताएं पूर्ण व स्टॉक प्रविष्टियॉ दर्शाने बारे सटिप्पण उत्तर की समीक्षा उपरान्त समाप्त)
8	पैरा–73	निर्णीत	(दशमेश आटो मोबाईल चण्डीग़ढ़ से स्वराज माजदा की स्वीकृति चलसम्पत्ति रजिस्टर में स्टॉक प्रविष्टियां न करना/दर्शाना (वांन्छित प्रविष्टियॉ व अन्य अभिलेख की पुष्टि की गई)
9	पैरा–101	निर्णीत	(कूलर की मुरम्मत की स्वीकृति एवं कार्योत्तर स्वीकृति अपेक्षित है (कार्यवाही एवं अभिलेख की पुष्टि की गई)
10	पैरा–118	निर्णीत	(मैसर्ज यू0पी0 हैन्डलूम घुमारवीं को भुगतान सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना, कार्योत्तर स्वीकृति अपेक्षित है (अभिलेख एवं बिल संख्या 255 दिनांक 10/96 की पुटि की गई)
11	पैरा–119	निर्णीत	(मैसर्ज गुप्ता इल्कोटिनिक चण्डीगढ़ को भुगतान बिना स्वीकृति के ₹6330/–) कार्योत्तर स्वीकृति अपेक्षित है जिसे अंकेक्षण पर दर्शाया गया है)
12	पैरा–130	अनिर्णीत	
13	पैरा–133	निर्णीत	(मै0 भारत फार्मेसी नगल को ₹5999/–का भुगतान बिना पारित आदेश/प्रक्रिया पूर्ण उपरान्त पैरा समाप्त)
14	पैरा–140	निर्णीत	(श्री वी0डी0 शर्मा को बिना बिल पारित भुगतान

			की गई ₹5665/–की कार्योत्तर स्वीकृति अपेक्षित है सम्पूर्ण प्रकरण एवं सटिप्पण उतर उपरान्त पैरा समाप्त)
15	पैरा–142	निर्णीत	(न्यू इण्डिया इन्श्योरेन्स बिलासपुर को बिना बिल पारित ₹8280/–का भुगतान कार्यवाही अपेक्षित है। (वर्तमान अंकेक्षण पर प्रक्रिया की जांच की गई)
16	पैरा–156 (2)	निर्णीत	(₹62/–की वसूली शेष है अभिलेखों से पुष्टि कर ली गई है वसूली नहीं बनती है)
17	पैरा–167	अनिर्णीत	
18	पैरा–174 (क) (2)	अनिर्णीत	
19	पैरा–176 (ग)	निर्णीत	(गाड़ी नं0 एच0पी0–24–0036 के लिए क्रय 4 नं0 टायरों से सम्बन्धित अभिलेख एवं प्रविष्टि पृ0सं0 35 पर दर्ज पाई गई)
20	पैरा–176 (घ) 1 से 4	निर्णीत	(25 लीटर डीजल ₹240.75 व 1 लीटर इन्जन आयल की कीमत ₹75/–की वसूली व अन्य अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे लॉग बुक पृ0 58 पर दर्ज है व अभिलेख तथा वा0 सं0 की पुष्टि कर ली गई है)
21	पैरा–176 (ङ)	निर्णीत	(मुरम्मत व्यय ₹27320/–का भुगतान बिना स्वीकृति व औपचारिकताओं के बिना करने बारे वा0सं0 567 दिनांक 7/96 पर प्रतिहस्ताक्षर दर्ज करवाकर)
22	पैरा–176 (च)	निर्णीत	टायरों की रिट्रिडिंग का भुगतान बिना स्वीकृति के (वा0सं0 637 दिनांक 7/96 पर प्राप्त)
23	पैरा–176 (झ)	अनिर्णीत	
24	पैरा–176 (ट)	अनिर्णीत	
25	पैरा–176 (ठ)	समाप्त	(पैरा पुनः प्रारूपित रिपोर्ट से हटाया गया)

26	पैरा–176 (ढ)	अनिर्णीत	
27	पैरा–176 (त)	समाप्त	(पैरा प्रतिवेदन से हटाया जाता है)
28	पैरा–176 (थ)	समाप्त	(पैरा सं0 176 (ड)–ढ–थ एक ही किस्म के पाए गए टंकण पर गलत दर्शाया गया प्रतीत होता है)
29	पैरा–176 (न)	निर्णीत	(गाड़ी नं0 एच0पी0–24–5555 की मुरम्मत पर ₹2211/–का भुगतान एवं रिपेयर रजिस्टर न दर्शाने बारे। वा0सं0 290301 रिपेयर रजिस्टर पर प्रविष्टि एम0बी0–9 पर दर्ज पाई गई)

(3) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2002 से 12/2003

1	पैरा–35 (6)	अनिर्णीत	

(4) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/04 से 12/04

1	पैरा–8 (1)	निर्णीत	(670 मि0ग्रा0 सोने की स्टॉक में कम प्रविष्टि करने बारे। प्रविष्टि स्टॉक पृ0 41 पर कर ली गई है)
2	पैरा–8 (ii)	निर्णीत	(दो चांदी के सिक्को को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज न करने बारे पूर्व में ही पृष्ठ 5 पर प्रविष्टि कर ली गई)
3	पैरा–19 (2)	निर्णीत	(एस0टी0डी0 बूथ खोले बिना ऐटेण्डैन्ट की नियुक्ति बारे। सटिप्पण उत्तर की समीक्षा दिनांक 27.11.12 को संयुक्त निदेशक द्वारा कर ली गई)
4	पैरा– 24 (1)	निर्णीत	(श्री नन्द लाल चालक ₹10052/–की वसूली न करने बारे। अभिलेख एव अन्य प्रपत्रों की समीक्षा उपरान्त)
5	पैरा– 33	अनिर्णीत	
6	पैरा– 38	निर्णीत	(मन्दिर निधि से नलवाड़ मेले में तैनात

			गृहरक्षकों को ₹41901/–का अनियमित भुगतान अध्यक्ष के ध्यानार्थ उपरान्त ऐसे व्यय पर रोक लगा दी गई)
7	पैरा– 43 (1)	निर्णीत	(मन्दिर वाहन का दुरूपयोग। लॉग बुक पर पूर्ण विवरण अनिवार्य कर दिया गया।)
8	पैरा– 43 (6)	निर्णीत	(–यथोपरि– पृ0 31 पर दर्ज है)
9	पैरा– 43 (8)	अनिर्णीत	
10	पैरा– 43 (10)	अनिर्णीत	
11	पैरा– 45	निर्णीत	(रसीद संख्या 70136 से 70146 तक प्राप्त चावल की 100 कि0ग्रा0 मात्रा का स्टॉक में कम दर्ज करने बारे रसीद संख्या 70139 दिनांक 24.7.04 पर 2 कटटे प्राप्त हुये जिसका वजन 100 कि0ग्रा0 ही बनती है व पुष्टि कर ली गई)
12	पैरा–54 (1)	निर्णीत	यात्री निवास (मातृ आंचल) के किराए की राशि ₹3150/–की कम वसूली बारे। आगन्तुक रजिस्टर की पडताल पर पाया गया कि Doormentry Rate @50 per Bed दिया गया। वसूली नहीं बनती।

(5) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/05 से 12/05

1	पैरा–16 (5)	निर्णीत	(रोकड़ वही प्रविष्टियां आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापन न करने बारे। जांच की गई व हस्ताक्षर दर्ज पाए गए)
2	पैरा–20	अनिर्णीत	
3	पैरा–21	अनिर्णीत	
4	पैरा–22	अनिर्णीत	
5	पैरा–23	अनिर्णीत	
6	पैरा–24	अनिर्णीत	

7	पैरा—25	निर्णीत	(जिलाधीश कार्यालय से वरिष्ठ सहायक की सेवा लेने बारे। सटिप्पण उत्तर उपरान्त पैरा समाप्त)
8	पैरा—27 (2)	निर्णीत	(₹3280/—का वेतन एवं भत्तों का अधिक भुगतान। प्रत्यार्पण पत्र अनुसार डी0सी0 द्वारा भुगतान किया गया)
9	पैरा—35 (1)	निर्णीत	(मांग व संग्रह रजिस्टर का रखरखाव न करना। सुझाव अनुसार कार्यवाही शुरू की गई)
10	पैरा—35 (2)	अनिर्णीत	
11	पैरा—35 (3)	अनिर्णीत	
12	पैरा—40 (1)	अनिर्णीत	
13	पैरा—40 (3)	निर्णीत	(सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना बिलों का भुगतान। सटिप्पण उत्तर उपरान्त पैरा समाप्त)
14	पैरा—42 (2)	निर्णीत	(टैक्सी का किराए पर लेने के लिए स्वीकृति अंकेक्षण में न दिखाना अभिलेख दर्शाए)
15	पैरा—43 (2), 43 (2)	अनिर्णीत	
16	पैरा—45	निर्णीत	(₹10684/—की प्रतिभूति राशि का भुगतान बिना स्वीकृति। सटिप्पण उत्तर की समीक्षा की गई)
17	पैरा—52	निर्णीत	(मंहगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान बिना स्वीकृति के। सटिप्पण उत्तर की समीक्षा की गई)
18	पैरा—54 (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा—54 (ग)	अनिर्णीत	
20	पैरा—55 (1 से 4)	निर्णीत	(चल सम्पत्ति, मूर्ति इत्यादि रजिस्टर को अंकेक्षण पर उपलब्ध न करवाना/स्टॉक/स्टोर का प्रत्यक्ष सत्यापन न

			करना। अभिलेख एवं रजिस्टर का निर्माण सुझावानुसार तैयार किया जा रहा है)

(6) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/06 से 31.12.07

1	पैरा–3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क ₹1690/– का भुगतान शेष है। (शेष शुल्क भिजवा दिया गया है)
2	पैरा– 17	अनिर्णीत	
3	पैरा– 26	अनिर्णीत	
4	पैरा– 29	अनिर्णीत	
5	पैरा– 30	अनिर्णीत	
6	पैरा– 33	निर्णीत	(स्मारिका पर व्यय ₹10000/–की रसीद देख ली गई है व निर्माण रजिस्टर तैयार 2002 से किया गया)
7	पैरा– 36	निर्णीत	(सेवा पुस्तिकाएं उपलब्ध करवाकर पुष्टि की गई)
8	पैरा– 37	अनिर्णीत	
9	पैरा– 39	निर्णीत	(₹90000/–का उपयोगिता प्रमाण पत्र दर्शाए गए)
10	पैरा– 40	अनिर्णीत	
11	पैरा– 41	निर्णीत	(कम्पयूटर की स्टॉक प्रविष्टियॉ अपेक्षित है जो कि संस्कृत विद्यालय में पाई गई है)
12	पैरा– 42	अनिर्णीत	
13	पैरा– 45 (क)	निर्णीत	(स्टॉक प्रविष्टियॉ न दिखाना। (पृष्ठ 284/2007 व पृ0
14	पैरा– 45 (ख)	निर्णीत	150 पर प्रविष्टियॉ दर्ज पाई गई पुष्टि कर ली।
15	पैरा– 45 (च)	अनिर्णीत	2 क्विंटल आटा कम दर्ज होने पर कर ली शेष है)
16	पैरा– 47 (घ)	अनिर्णीत	
17	पैरा– 48	निर्णीत	(सक्षम अधिकारी की स्वीकृति बिना भुगतान/सटिप्पण उत्तर की समीक्षाकर ली गई है)
18	पैरा– 50	निर्णीत	निधियों से सावधि जमा बारे। (सटिप्पण उतर उपरान्त पैरा समाप्त)
19	पैरा– 51	अनिर्णीत	

(7) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/08 से 31.12.09

1	पैरा– 3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क ₹97300/–के विभाग को बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक 20.9.11 को भेजा गया, पुष्टि कर ली गई है (CBD12P219)
2	पैरा– 5 (ग)	निर्णीत	(सोने की 603 ग्राम 900 मि0ग्राम मात्रा को कम दर्ज करने बारे। सोना स्टाक रजिस्टर पर पृ0 41 पर उठा लिया गया)
3	पैरा– 6 (ग)	निर्णीत	(चांदी की मात्रा 0178 ग्राम 800मि0 ग्राम को कम दर्ज करने बारे पर प्रविष्टि पृं0 141 पर उठा ली गई है)
4	पैरा– 7	अनिर्णीत	
5	पैरा– 8 (क)	निर्णीत	(वास्तविक आय ₹33750/–को कम दर्शाना। गणना में कम उठाने पर देवता गल्ला की पुष्टि की गई। सिक्के एवं रूपयो की मात्रा एक जैसी ही दर्ज होने के कारण गल्ती से बैक में नही पाई गई)
6	पैरा– 8 (ख)	निर्णीत	(₹400/–की वसूली अपेक्षित है वसूली रसीद सं0 6252 दिनांक 1.12.2012 को कर ली गई)
7	पैरा– 9	निर्णीत	(₹1110/–की वसूली नहीं बनती है डे बुक के माह 8/08 099764 से 75 दर्ज होनी थी सही राशियों की पुष्टि की गई)
8	पैरा– 10	निर्णीत	(₹357/– की वसूली नही बनती है)
9	पैरा– 11	निर्णीत	(विदेशी मुद्रा का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन न करना पर डॉलर राशि की वसूली कर ली गई है (R.No. 6631 दिनांक 13.12.12)
10	पैरा– 12	निर्णीत	(राशि 1 करोड 80 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करने बारे। उपयोगिता प्रमाण पत्र दर्शाए गए

			छाया प्रतियां संलग्न है)
11	पैरा– 13	अनिर्णीत	
12	पैरा– 14	अनिर्णीत	
13	पैरा– 15	अनिर्णीत	
14	पैरा– 16	अनिर्णीत	
15	पैरा– 17	निर्णीत	(सक्षम अधिकारी से अनियमित व्यय को नियमित करवाने बारे कार्योत्तर स्वीकृति वर्तमान प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
16	पैरा– 18 (1) (क)	निर्णीत	(रिवेट की ₹76894/–कम कटौती 2% Rebate राशि C/O Rain Shetter बिल से कर ली गई है MB 8019 Page 68)
17	पैरा– 18 (1) (ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा– 18 (1) (ग)	अनिर्णीत	(लैबर सैस की ₹50129/–की कम वसूली 1.10 दर से लैबर सैस बनता है छायाप्रति संलग्न)
19	पैरा– 18 (1) (घ)	निर्णीत	(द्वितीय बिल में स्टील की गणना पर राशि ₹9288/–का अधिक भुगतान बारे वसूली MB 8019 Page 68 पर कर ली)
20	पैरा– 18 (1) (ङ)	अनिर्णीत	
21	पैरा– 18 (1) (च)	अनिर्णीत	
22	पैरा– 19 (क)	अनिर्णीत	
23	पैरा– 19 (ख)	अनिर्णीत	
24	पैरा– 20 (क)	अनिर्णीत	
25	पैरा– 20 (ख)	अनिर्णीत	
26	पैरा– 20 (ग)	अनिर्णीत	
27	पैरा– 21	अनिर्णीत	
28	पैरा– 22	अनिर्णीत	
29	पैरा– 23	अनिर्णीत	
30	पैरा– 24	निर्णीत	(₹10368/–लाईसैंन्स फीस की वसूली। संयुक्त

			निदेशक के निरीक्षण के समय पैरा समाप्त)
31	पैरा– 25	अनिर्णीत	
32	पैरा– 26	अनिर्णीत	
33	पैरा– 27	निर्णीत	(दवाईयों की खपत अभिलेख प्रस्तुत न करने बारे। खपत एवं स्टॉक प्रविष्टियॉ देख ली गई)
34	पैरा– 28	निर्णीत	(ऋण की ₹50000 / – की वापिसी RED cross Society में सुझावानुसार कार्यवाही देख ली गई)
35	पैरा– 29	निर्णीत	(दान से प्रापत सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में कम इन्द्राज की पुश्टि कर ली गई है)
36	पैरा– 30 (क)	निर्णीत	(लंगर खपत रजिस्टर तैयार करने बारे। उत्तर की समीक्षा की गई)
37	पैरा– 30 (ख)	निर्णीत	(स्टॉक रजिस्टर में सही मात्रा दर्ज पाई गई)
38	पैरा– 31	अनिर्णीत	
39	पैरा– 32	अनिर्णीत	
40	पैरा– 33	अनिर्णीत	
41	पैरा– 34	अनिर्णीत	
42	पैरा– 35	अंशतः निर्णीत	(मूर्ति एवं अचल सम्पति रजिस्टर)

"परिशिष्ट ख–1" **पैरा संख्या–7**

सोनाः–

क्र0सं0	**विवरण**	**क्विंन्टल**	**कि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
1	श्री रमण कुमार के पास श्रंगार इत्यादि के लिए दिनांक 1.1.2010 को कुल मात्रा (प्रा0 शेष)	0	14	885	437
	(1) वर्ष 2010 में जारी मात्रा	0	00	336	150
	(2) वर्ष 2011 मे ंजारी मात्रा	0	01	209	480
	योग	**0**	**16**	**431**	**067**
(2)	सीलड गाठो में दिनांक 1.1.10 को शेष	0	31	867	539
	वर्ष 2010 में सीलड गाठा का वजन	0	5	156	520
	वर्ष 2011 में सीलड गाठा का वजन	0	5	604	738
	योग	**0**	**42**	**628**	**797**
(3)	गोल्ड ब्रांड योजना मेंशेष	0	54	101	910
(4)	मन्दिर लाकर में पिघलाई गई सोने की ईटों का वजन एवं इन्द्राजं	0	22	238	174
	दिनांक 31.2.2011 को सोने के अन्तशेष का विवरणः–	0	16	431	067
		0	42	628	797
		0	54	101	910
		0	22	238	174
	कुल योग	**1**	**35**	**399**	**948**

"परिशिष्ट ख–1" **पैरा संख्या–7**

चांदी

क्र0सं0	**विवरण**	**क्विंन्टल**	**कि0ग्रा0**	**ग्रा0**	**मि0ग्रा0**
(1)	श्री रमण कुमार के पास श्रृंगार इत्यादि के लिए दिनांक 1.1.2010 का (प्रा0 शेष) कुल मात्रा	03	84	693	490
	वर्ष 2010 में जारी मात्रा	00	08	356	900
	वर्ष 2011 में जारी मात्रा	00	01	742	300
	योग	**3**	**94**	**792**	**690**
(2)	सीलंग गाठों दिनांक 1.1.10 को शेष	26	09	242	830
	वर्ष 2010 में प्राप्त मात्रा	3	30	339	200
	वर्ष 2011 में प्राप्त मात्रा	3	60	954	520
	योग	**32**	**46**	**536**	**550**
(3)	मन्दिर लाकर में पिघलाकर तैयार की ईंटों का वजन	12	82	224	349
	दिनांक 31.12.2011 को चांदी के अन्तशेष का विवरणः–	3	94	792	690
		32	46	536	550
		13	82	224	349
	कुल योग	**49**	**23**	**553**	**589**

"परिशिष्ट–च" <u>पैरा संख्या 17</u>

क्र0 सं0	पद का नाम	अधिग्रहण के समय स्वीकृत पद	संशोधित वेतनमान	वर्तमान में स्वीकृत पद	टिप्पणियॉ
1	प्राचार्य	1	37400–67000+GP 10000	1	वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन के आधार पर अधिसूचना संख्या
2	प्राध्यापक	8	15600–39100	6	यू0जी0सी0 वेतनमानों
3	व0 सहायक	शून्य	10300–34800	1	शिक्षा विभाग के द्वारा अनुमोदित वेतनमान
4	लिपिक	1	5910–22200	1	खाली पद
5	सेवादार	–	4900–10680	1	शून्य
6	सफाईकर्ता	–	4900–10680	1	शून्य
7	लाईबेरियन लिपिक	1	5910–20200	1	शून्य

(2) वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नैना देवी जी

1	प्रधानाचार्य	कोई नहीं	15600–39100	1	15600–39100+GP 6600
2	मुख्याध्यापक	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	खाली पद

3	अध्यापक टी0जी0टी0	1	10300—3480	1	10300—34800
4	प्राध्यापक	10	10300—3480	9	10300—34800
5	शास्त्री	1	10300—34800		
6	डी0पी0आई	1	10300—34800	—	खाली पद
7	कला अध्यापक	1	कोई नहीं	कोई नहीं	खाली पद
8	अधीक्षक	1	10300—34800	कोई नहीं	पद भरा नहीं गया
9	लिपिक	1	5910—20200	कोई नही	पद भरा नहीं गया
10	प्रयोगशाला सहायक	1	5910—20200	1	पद भरा नहीं गया
11	सेवादार	1	4910—10680	1	पद भरा नहीं गया
12	चौकीदार / सफाई कर्ता	—	4910—10680	2	पद भरा नहीं गया
13	आई0टी0 प्राध्यापक	—	3500 प्रतिमाह अनुबन्ध	1	अनुबन्ध के आधार

(3) न्यास में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी

1	अधीक्षक	1	10300—34800	10300—3 4800 (1)	—
2	व0 सहायक	2	10300—34800	2	—
3	कनिष्ठ सहायक	1	5910—20200	1	—
4	वरिष्ठ लिपिक	2	5910—20200	खाली पद	—
5	मुख्य लिपिक	1	5910—20200	खाली पद	—
6	लिपिक	6	5910—20200	7	—
7	कनिष्ठ अभियन्ता	2	10300—34800	2	—
8	व0 विद्युत सहायक	1	5910—20200	—	—
9	प्रारूपकार	2	10300—34800	2	—
10	विद्युत मिस्त्री	2	4900—20680	1	—
11	चालक	2	5910—20200	3	1 पद अतिरिक्त
12	स्थानपति	1	5910—20200	1	—————
13	सुरक्षा गार्ड	3	4900—10680	1	2 पद खाली
14	मुख्यलांगरी	1	4900—10680	1	——
15	चतुर्थ श्रेणी लांगरी	77	4900—10680	77	——

सफाईकर्ता नौवती

निगरान, बेलदार मैदान

(4)	**भाषा एवं संस्कृति/राजस्व विभाग हि0प्र0**				
1	मन्दिर अधिकारी	–	–	1	हि0प्र0 सरकार की नीति (Policy) राजस्व विभाग से।
(5)	**ठेके/अनुबन्ध के आधार पर नियुक्तियां**				
1	चालक	कोई नहीं	5910–20200	1	अनुबन्ध के आधार एवं
2	चौकीदार सफाई कर्मचारी	कोई नहीं	4900–10680	10	करूणामूलक आधार
3	लागरी/लिपिक	कोई नहीं	5910–20200	1	करूणामूलक आधार
(6)	**न्यास द्वारा संचालित दुकान में कार्यरत्त कर्मचारी**				
1	लिपिक	–	5910–20200	1	नियमित रूप से दैनिक दर पर
2	सैल्जमैन/हैल्पर	–	–	8	दैनिक दर पर
3	दैनिक भोगी कर्मचारी	–	–	1	दैनिक दर पर
(7)	करूणामूलक आधार पर नियुक्तियां				
1	लिपिक	–	5910–20200	1	करूणामूलक
2	चौकीदार/चालक/ रूम अटैडेन्ट	–	4900–16880	11	–
3	सफाई कर्मचारी	–	–	शून्य	–